नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.17 से 31.03.19
भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (अब राज्य लेखा परीक्षा विभाग) को सौपें जाने के दृष्टिगत नगर परिषद बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद बददी में निम्नानुसार प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी बतौर नियन्त्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	पद	नाम	अवधि
(i)	प्रधान	(1) श्री मदन लाल चौधरी	1.4.17 से 24.11.18 तक (24.11.18 से 6.1.19 तक खाली)
		(2) श्री नरेन्द्र कुमार	7.1.19 से 31.3.19 तक
(ii)	कार्यकारी अधिकारी		
		(1) श्री अजमेर सिंह ठाकुर	1.4.17 से 3.4.18 तक (4.4.18 से 22.4.18 तक खाली)
		(2) श्री प्रशांत देशटा (एस0डी0एम0)	23.4.18 से 7.6.18 तक
		(3)अजमेर सिंह ठाकुर	8.6.18 से 31.3.19 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि (₹)(लाखों में)
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	5 (क)	130.57
2	अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	5 (ङ)	686.33

3	कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिमों अस्थाई का समायोजन न करना	7	1.02
4	रख–रखाव प्रभार वसूली हेतु शेष	10	64.62
5	दुकानों के किराये की बकाया वसूली हेतु शेष	11 (क)	23.64
6	किरायेदारों द्वारा दुकानों को खाली करने के उपरान्त भी उनसे बकाया किराये की वसूली न करना	11 (ग)	5.31
7	नक्शा पारित आवदेन शुल्क की वसूली न करना	12 (क)	0.51
8	निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को अग्रिम राशि का अनियमित भुगतान करना	23	221.60
9	नियमानुसार विहित औपचारिकता पूर्ण किये बिना मदों का क्रय करना	26	4.04
10	निर्माण कार्यों की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान	31	1.26
11	अनियमित व अनाधिकृत आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतन व भत्तों पर अनियमित व्यय	33	–––

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों के निस्तारण हेतु नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा लम्बित पैरों के निपटारे हेतु प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद बददी के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियन्त्रक, (ले0प0) एवं श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी, (ले0प0) द्वारा अवधि 28.04.2019 से 25.07.2019 तक के दौरान नगर परिषद के बददी स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर माह 09/2017 व 03/2019 तथा व्यय हेतु माह 09/2017 व 06/2018 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया है तथा किसी प्रकार की गलत अथवा अधूरी सूचना व सूचना उपलब्ध न करने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी विपरीत प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, (अब राज्य लेखा परीक्षा विभाग) हिमाचल प्रदेश शिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद बददी के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹106000 आंका गया जिसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 (अब राज्य लेखा परीक्षा विभाग) को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बददी से सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 25.7.19 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बददी द्वारा यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित गत तीन वित्त वर्षों अर्थात वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वित्त वर्ष	शीर्ष का विवरण	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	स्वःस्त्रोत	64780818	32794503	97575321	38979528	58595793
	अनुदान	166242954	121052416	287295370	217625424	69669946

	कुल योग	**231023772**	**153846919**	**384870691**	**256604952**	**128265739**
2017–18	स्वःस्त्रोत	58595793	40718917	99314710	71182460	28132250
	अनुदान	69669946	54041881	123711827	122284423	1427404
	कुल योग	**128265739**	**94760798**	**223026537**	**193466883**	**29559654**
2018–19	स्वःस्त्रोत	28132250	31480384	59612634	35824603.10	23788030.90
	अनुदान	1427404	86157523	87584927	78716626	8868301
	कुल योग	**29559654**	**117637907**	**147197561**	**114541229.10**	**32656331.90**

रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को अन्तिम शेष=₹32656331.90

परिशिष्ट "ख" Annexure-A के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को बैंक खातों, सावधि जमा एवं हस्तगत शेष=36128903.90 (निम्न विवरणानुसार)

विवरण	खाता संख्या	बैंक का नाम	शेष
बैंक खातों में शेष राशि	100234001003204	Jogindra Central Cooperative Bank Baddi	2170025.50
	366010100170284	Axis Bank Baddi	10069270.95
	50100187626237	HDFC Bank Baddi	6205121.26
	049901000353	ICICI Bank Baddi	1133667.86
	049901000634	ICICI Bank Baddi	67241.54
	658901700103	ICICI Bank Baddi	344685.00
	165104000049319	IDBI Bank Baddi	5940013.79
	10510100001129	Parwanoo Urban Cooperative Bank Baddi	303451.00
	1781238212438712	AU SFB Bank Baddi	161632
	100065899668	Indusland Bank Baddi	2693160
सावधि में निवेशित राशि	2436401002525/1	Canara Bank Baddi	6541570
	5030008173741	HDFC Bank Baddi	498065
हस्तगत शेष			1000
		कुल योग	**36128903.90**

दिनांक 31.03.19 को अन्तिम शेषों में अन्तर (2–1)=₹3472572

परिशिष्ट "ख" पृष्ठ संख्या 3 Annexure B के अनुसार अन्तर के कारण निम्न प्रकार से है।

बैंक समाधान विवरणी

विवरण				राशि (₹)
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2019 को अन्तशेष				32656331.90
जमा (+)				
(1) भुगतान हेतु जारी चैक जो दिनांक 31.3.19 तक बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए				
	चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)	
(i)	463262	30.03.19	1133013	
(ii)	463262	30.03.19	1133013	
(iii)	463263	30.03.19	481725	
(iv)	463264	30.03.19	433264	
(v)	000103	23.03.19	9815	
(vi)	298254	23.03.19	4000	
(vii)	केनरा बैंक द्वारा सावधि जमा पर दिए गए ब्याज से सम्बन्धित जमा राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई (सावधि जमा संख्या 2436401002525/1 पर 26.06.16 से 26.06.18 तक)		721006	
			3482572.00	(+) 3482572.00
				36138903.90
घटाव (–)	चैक संख्या 481423 दिनांक "अंकित नहीं" द्वारा प्राप्त राशि बैंक में जमा की गई जोकि 31.03.19 तक बैंक खाते में जमा नहीं हुई (G-8=14/84 दिनांक 21.04.17)			(–)10000
	दिनांक 31.03.2019 को बैंक खातों सावधि जमा एवं			36128903.90

हस्तगत शेष

(ख) बैंक समाधान विवरण/रोकड बही के रख–रखाव में पाई गई अनियमितताएंः–

(i) अंकेक्षण को भुगतानों की वास्तविक प्राप्ति रसीदें प्रस्तुत न करना तथा रोकड़ बही का उचित रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माह जुलाई/2017 से मार्च/2019 तक CGST, SGST एवं Labour cess से सम्बन्धित ₹2747751 (1133013+1133013+4817+476908) की कटौती संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों से की गई थी तथा जिसे समय–2 पर रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में सम्बन्धित विभागों को भुगतान के रूप में दर्शाया जाता रहा परन्तु वास्तविकता में अवधि 7/17 से 3/19 तक देय राशि को एक मुश्त सम्बन्धित विभागों में जमा करवाने हेतु चैक दिनांक 30.03.19 को जारी किए गए (बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.19 **परिशिष्ट "ख"** पृष्ठ संख्या 3 से 8) जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार इन राशियों को सम्बन्धित विभागों में संविदाकारों के निर्माण बिलों से कटौती उपरान्त तुरन्त जमा करवाया जाना अपेक्षित था तथा ऐसे में अत्याधिक विलम्ब के उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करने के कारण किसी भी दण्डात्मक (Penality) कार्यवाही की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त नियमानुसार रोकड़ बही में केवल वास्तविक प्राप्तियाँ एवं भुगतान सम्पूर्ण विवरण सहित (रसीद संख्या, चैक संख्या आदि) दर्ज किए जाने अपेक्षित है जबकि नगर परिषद द्वारा इस प्रकार का विवरण रोकड़ बही में नहीं दिया गया था। नगर परिषद द्वारा एक ओर रोकड़ बही में माह जुलाई/2017 से मार्च/2019 तक इन राशियों को भुगतान पक्ष में भुगतान के रूप में दर्शाया जाता रहा जबकि 30.03.19 तक यह भुगतान वास्तविकता में किए ही नहीं गए थे तथा दूसरी ओर दिनांक 30.03.19 (बैंक समाधान विवरणी के अनुसार) को जब इन राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा करवाने हेतु वास्तव में चैक जारी किए गए तो उन चैकों का विवरण व राशि की प्रविष्टियां भी रोकड़ बही में नहीं की गई थी जोकि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 25.7.19 द्वारा नगर परिषद से उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब अपेक्षित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित विभागों से उपरोक्त राशि के जमा करवाए जाने की वास्तविक प्राप्ति रसीदें प्राप्त

करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के साथ–2 भविष्य में रोकड़ बही का नियमानुसार उचित रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) लगभग दो वर्ष पश्चात भी ₹0.10 लाख का बैंक खाते में जमा प्राप्त न होना

नगर परिषद को रसीद संख्या 14/84 दिनांक 21.04.17 द्वारा ₹10000 चैक संख्या 481423 (दिनांक अंकित नहीं) से प्राप्त हुए थे जिसे नगर परिषद के बैंक खाते में जमा करवा दिया गया था परन्तु लगभग दो वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी यह राशि नगर परिषद के खाते में जमा नहीं हुई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित राशि का जमा प्राप्त करने हेतु मामला बैंक से उठाकर उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(iii) रोकड़ बही में माह के अन्त में सावधि जमा में निवेशित राशियों से सम्बन्धित विवरण न दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही के अनुसार शेष के साथ सावधि जमा में निवेशित राशियों का विवरण नहीं दर्शाया जा रहा था जिसके अभाव में माह के अन्त में नगर परिषद कोष में उपलब्ध वास्तविक शेष के बारे सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। अतः इस अनियमितता के बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियो का सत्यापन न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही (स्वः स्त्रोत तथा अनुदान) में माह 01/19 से 03/19 तक की आय/व्यय से सम्बन्धित प्रविष्टियों तथा रोकड़ बही (P & G) में 09/17 से 0/19 (पृष्ठ संख्या 13 से 14) तक रदद (Cancel) की गई प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जोकि वित्तीय नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 अनुदान

(क) अनुदानों की ₹130.57 लाख उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.19 को विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त

अनुदानों में से ₹13057473 उपयोग हेतु शेष थी जिस का उपयोग न होने के कारण जहां लाभार्थी जनता को प्राप्त होने वाले लाभों/सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है वहीं अनुदान राशि का अनावश्यक अवरोधन भी हुआ है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221 दिनांक 5.7.19 द्वारा नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा जिन अनुदानों के उपयोग हेतु तय समय अवधि समाप्त हो चुकी है उन अनुदानों का उपयोग सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्य हेतु किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अनुपयोग अनुदान राशि का सम्बन्धित विभाग को प्रत्यार्पण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

क्र0सं0	अनुदान का शीर्ष	31.03.19 को शेष अनुपयोग राशि (₹)
1	Park	11710420
2	SBM iec	146586
3	Nulm	180760
4	Pmay	13848
5	Sbm ihhl	427859
6	DC grant	250000
7	Rajeev awas yojna	328000
	कुल योग	₹13057473

(ख) प्राप्त अनुदान राशियों से ₹41.89 लाख का अधिक व्यय करना

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.19 तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध ₹4189172 का व्यय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्राप्त राशि से अधिक किया गया था जोकि अनियमित है। अंकेक्षण के दौरान भी नगर परिषद से इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अधिक व्यय को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

क्र0सं0	अनुदान का शीर्ष	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय राशि (₹)
1	4^{th}	611627
2	$13^{th}/13^{th}$	1824376
3	ULB roads	173247
4	Parking	838924
5	Bbnda	522729
6	Uidssmt	218269
	कुल योग	₹4189172

(ग) अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा Sewerage शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान ₹10000000 का उपयोग वर्ष 2017–18 के दौरान कर लिया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित Funding agency को प्रेषित अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) अनुदान रजिस्टर/सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना

निदेशालय, शहरी विकास द्वारा समय–2 पर नगर परिषद को विभिन्न प्रायोजनों हेतु अनुदान जारी किये जाते है परन्तु कई बार आग्रह के उपरान्त भी नगर परिषद द्वारा न तो प्राप्त अनुदान के स्वीकृति पत्र और न ही अनुदान रजिस्टर अंकेक्षण को अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव ही नहीं किया जा रहा है जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण जैसे अनुदान का शीर्ष, शेष, प्राप्ति एवं भुगतान इत्यादि विदित नहीं होता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 द्वारा भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही न किया जाना गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) सम्बन्धित संस्था से ₹686.33 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न विभागों को प्राप्त अनुदानों में से निक्षेप निर्माण कार्य (Deposit Work) निष्पादन हेतु राशियाँ हस्तांतरित करके जमा की गई थी जिसके सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 229 दिनांक 20.7.19 द्वारा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु इस सन्दर्भ में न तो वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई और न ही अपेक्षित अभिलेख हेतु प्रस्तुत किए गए। अतः अपेक्षित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये:–

जिस माह में अनुदान राशि हस्तांतरित की गई	हस्तांतरित राशि (₹)	विभाग/संस्था का विवरण	शीर्ष
04/17, 08/17 & 10/17	41633118	IPH Department	Sewerage and UIDSMT
04/17	10000000	Baddi infrastructure	Sewerage
02/19	17000000	IPH department	Sewerage
कुल योग	**₹68633118**		

6 सावधि निवेश

(क) नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ग"** पर प्रस्तुत सूचनानुसार दिनांक 31.03.2019 को ₹7039635 सावधि जमा योजना में निवेशित थे। अतः सावधि जमा को परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) सावधि निवेश पर ₹4.37 लाख का कम ब्याज प्राप्त किया जाना

नगर परिषद द्वारा विभिन्न निवेशो पर प्राप्त ब्याज का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निवेशों पर सम्बन्धित बैंकों से निम्न तालिका में दर्शाये गये विवरण अनुसार ₹438345 का ब्याज कम प्राप्त हुआ था। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 221 दिनांक 5.7.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह प्रकरण सम्बन्धित बैकों से उठाकर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:–

बैंक का नाम	सावधि निवेश खाता/रसीद संख्या	निवेशित मूल राशि (₹)	निवेश की तिथि	ब्याज की दर/ अवधि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्व राशि (₹)	जितनी परिपक्वता राशि देय बनती थी (₹)	कम प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज (₹)
PNB Nalagarh	272100PR 00015037	4182060	01.11.17	6% 1 yr P.A.	1.11.18	4345081	4438686	93605
PNB Nalagarh	272100PR 00015037	4345081	01.11.18	6.75% p.a./35 days	05.11.18	4360299	4373205	12906
Canara Bank Baddi	243640100 2463/1	5616187	01.07.17	6.75% p.a./1 yr	1.7.18	5840617	6004984	164367
Canara Bank Baddi	246340100 2463/1	5840617	01.07.18	6.5% p.a./37 days	7.8.18	5857195	5879101	21906
Canara Bank Baddi	243640100 2525/1	6254168	27.08.17	6.75% p.a./1 yr	26.8.18	6541570	6687131	145561
						कुल योग		438345

(ग) सावधि जमा की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज ₹7.21 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना

अंकेक्षण के दौरान सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा सावधि जमा खाता संख्या 2436401002525/1 में निवेशित ₹5840617 की परिपक्वता पर दिनांक 26.08.18 को अर्जित/प्राप्त ब्याज ₹721006 का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(घ) सावधि जमा पंजिका अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी परिषद द्वारा सावधि जमा पंजिका अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा वर्णित पंजिका का रख–रखाव ही नहीं किया जा रहा है जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सावधि जमा पंजिका का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जायें।

(ङ) कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज आय की हानि

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.19 को ₹29088269 की एक बड़ी रकम बचत खातों में शेष जमा थी जिस में से यदि सामयिक आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि के लिए सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो निश्चित रूप से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती थी, परन्तु परिषद द्वारा ऐसा न करने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 द्वारा भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में परिषद की सामयिक आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए समुचित राशि को बचत खाते में रखकर शेष उपलब्ध अतिरिक्त राशि को कुशल वित्तीय प्रबन्धन से एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु सावधि जमा योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद को अपनी दैनिक विकासात्मक गतिविधियां प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

7 स्टाफ अग्रिम की ₹1.02 लाख समायोजन हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार विभिन्न कर्मचारियों को प्रदत्त ₹102000 के अस्थाई अग्रिमों का गत 7 वर्षों के लम्बे

अन्तराल के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः वर्णित अग्रिम राशियों का समायोजन न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

8 पेन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि

वित्तीय स्थिति

नगर परिषद बददी द्वारा यथा **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार पेन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की गत तीन वित्त वर्षों अर्थात वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थीः–

वित्तीय वर्ष	विवरण	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	पेन्शन	4265773	824065	5089838	522099	4567739
	ग्रेच्युटी	1777406	343358	2120764	582579	1538185
	कुल योग	6043179	1167423	7210602	1104678	6105924
2017–18	पेन्शन	4567739	897330	5465069	319807	5145262
	ग्रेच्युटी	1538185	373888	1912073	0	1912073
	कुल योग	**6105924**	**1271218**	**7377142**	**319807**	**7057335**
2018–19	पेन्शन	5145262	841653	5986915	946389	5040526
	ग्रेच्युटी	1912073	350685	2262758	262469	2000289
	कुल योग	**7057335**	**1192338**	**8249673**	**1208858**	**7040815**

रोकड बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अन्तिम शेष=₹7040815

परिशिष्ट "ङ" के अनुसार दिनांक 31.03.19 को बैंक खातों, सावधि जमा एवं हस्तगत शेष जमा =₹7040815

अन्तिम शेषों में अन्तर =शून्य

9 गृहकर

(क) दिनांक 31.03.19 तक गृह कर/सम्पत्ति कर (**Property tax**) की वसूली हेतु बकाया राशि की सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218 दिनांक 2.7.19 के सन्दर्भ में अवगत करवाया गया कि गृहकर वर्ष 2017–18 से लागू किया गया था तथा नगर परिषद क्षेत्र के आवासियों के गृहकर निर्धारण (Assesment) किए जाने से सम्बन्धित कार्य अभी प्रगति पर है तथा यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष गृह कर की कितनी मांग बनती है तथा मांग के विरूद्ध कितनी वसूली की गई है। इससे सम्बन्धित आंकडे नगर परिषद कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गृहकर से सम्बन्धित स्थायी अभिलेख (रजिस्टर आदि) का रख–रखाव भी नहीं किया जा रहा था जिसके कारण इस तथ्य की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी कि नगर परिषद द्वारा कितने वार्डों में गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कितने वार्डों का लम्बित है। अतः नगर परिषद के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में गृह कर निर्धारण से सम्बन्धित कार्य पूर्ण करके सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव एवं अद्यतन (Updation) करना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित दरों से गृहकर की मांग व वसूली करना

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानों को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी पत्र संख्याः UDH(c) (10)-7/98-11 दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002–03 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006–07 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था किन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद द्वारा उक्त नियमानुसार निर्धारित दर की अपेक्षा 7.5% की दर से गृह कर के स्थान पर सम्पत्ति कर property tax वसूल किया गया था जोकि उक्त वर्णित प्रावधानों/निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः वर्णित अनियमितता के कारण वर्ष 2002–03 से 2016–17 तक नगर परिषद कोष को गृहकर राजस्व की हानि हुई है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम

प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 रख–रखाव प्रभार (Maintenance charges) ₹64.62 लाख वसूली हेतु

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2019 तक रख–रखाव प्रभार ₹6461542 वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान न तो रख–रखाव प्रभार की प्राप्ति हेतु मांग उठाई गई थी और न ही कोई वसूली की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2017–18 से Property tax लागू किया गया है तथा इस कारण रख–रखाव प्रभार की वसूली की जानी बन्द की जा चुकी है परन्तु इस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं नियमों में प्रावधान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221 दिनांक 5.7.19 द्वारा नगर परिषद से अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रख–रखाव प्रभार की बकाया राशि की वसूली करने के साथ–2 उपरोक्त दिशा निर्देशों एवं नियमों से सम्बन्धित दस्तावेज भी आगामी अंकेक्षण पर सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाये।

11 दुकानों के किराए से आय

(क) दुकान का किराया ₹23.65 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "छ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2019 को दुकानों के किराए की बकाया ₹2364810 वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 17.07.19 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि मौखिक चर्चा के दौरान नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानदारों से एक लाख से अधिक किराए की वसूली का शेष होना

दुकानों के किराए के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न दुकानदारों से पिछले कई वर्षों से दुकानों के किराए की वसूली नहीं की गई थी जिसके कारण उनसे देय बकाया राशि एक लाख रूपये से भी अधिक हो गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। किराए की समय पर वसूली न किए जाने के कारण जहां नगर परिषद कोष को नियमित रूप से हानि हो रही है वहीं विकास के कार्य भी प्रभावित होते है। इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 17.07.19 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि मौखिक चर्चा के दौरान नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः—

दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि (₹)
1	Shiv Ram	146630
1.1	Mukesh	265800
2	Amar Singh	150150
12	Jarnailsingh	374700
	कुल योग	**937280**

(ग) दुकानदारों से दुकाने खाली करने के उपरान्त भी किराये की बकाया ₹5.31 लाख की वसूली न करना

दुकानों के किराए के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न दुकानदारों द्वारा दुकानें खाली कर दी गई थी परन्तु उनसे देय बकाया किराया ₹530810 वसूल नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में नगर परिषद कोष को वित्तीय हानि होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 17.07.19 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि मौखिक चर्चा के दौरान नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया था। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः—

दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि (₹)
11	Rajinder	218130
14	Salim	161200
20	-------	151480
	कुल योग	₹530810

(घ) वर्ष 2018–19 के दौरान किराये पर आबंटित दुकानों का किराया ₹3.78 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान किराये पर आबंटित दुकानों के किराएदारों से किराये की न के बराबर वसूली की गई थी तथा दिनांक 31.3.2019 को निम्न विवरणानुसार बकाया किराया ₹377900 वसूली हेतु शेष था जबकि परिषद द्वारा दुकानदारों के साथ किए गए अनुबन्ध में विहित शर्तों के अनुसार प्रत्येक दुकानदार द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व दुकान का किराया जमा करवाया जाना अपेक्षित था। दुकानदारों द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक किराया जमा न करवाए जाने के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा किराये की प्राप्ति हेतु नियमानुसार न तो अपेक्षित कदम उठाए गए थे और न की अनुबन्ध में विहित शर्तों के अनुसार कोई दण्डात्मक (Penality) कार्यवाही की गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 17.10.19 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि मौखिक चर्चा के दौरान नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया था। अतः इस सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मामला उच्चधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता हैः–

दुकान सं0	दुकानदार का नाम	आबंटन तिथि	दुकान का मासिक किराया (₹)	माह 06/18 से 03/19 तक वसूली हेतु बकाया किराया राशि (₹)
4	Gurmeet Singh	1.6.18	2800	28000
5	Jaspal Singh	1.6.18	2800	28000

6	Raj Kumar	1.6.18	2800	25200
8	Sanjeev Kumar	1.6.18	2800	28000
11	Hem Singh thakur	1.6.18	2800	28000
12	Ashish gambhir	1.6.18	2800	28000
15	Lallan kumar	1.6.18	2800	28000
16	Rahul Sharma	1.6.18	2800	28000
21	Harish Kumar	1.6.18	2800	28000
6	Sukhbir Kaur	1.6.18	2800	33000
13	Deep Kumar	1.6.18	3300	33000
1	Harpreet Singh	1.6.18	3300	33000
3	Shyam Kant	1.6.18	3300	29700
			कुल योग	**377900**

(ङ) परिषद द्वारा 22 खाली दुकानों को किराए पर आबंटित न करने के कारण वित्तीय हानि

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ज"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.19 को 22 दुकाने किराए पर आबंटित न करने के कारण खाली पड़ी थी परिणामतः परिषद कोष को नियमित रूप से किराया आय की हानि उठानी पड रही थी। अतः दुकानों को किराए पर आबंटित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाये ताकि परिषद कोष को भविष्य में होने वाली हानि से बचाया जा सके।

(च) दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के किरायेदारों से किराये पर GST की वसूली नहीं की जा रही थी जबकि सरकार द्वारा दिनांक 01.07.17 से Service tax के स्थान पर GST लागू किया गया है तथा इसकी दर 18% निर्धारित है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अपेक्षित कर की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) दुकानों के किराया निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 17.07.19 द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित निम्न दुकानों के किराया निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे गए थे परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिस के

अभाव में दुकानों को किराए पर आबंटित करने सम्बन्धी पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति करते हुए सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेः—

दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	जिस तिथि को दुकान किराए पर दी गई	दुकान का मासिक किराया
4	Gurmeet Singh	1.6.18	2800
5	Jaspal Singh	1.6.18	2800
6	Raj Kumar	1.6.18	2800
8	Sanjay Kumar	1.6.18	2800
11	Hem Singh Thakur	1.6.18	2800
12	Ashish gambhir	1.6.18	2800
15	Lallan Kumar	1.6.18	2800
16	Rahul Sharma	1.6.18	2800
21	Harish Kumar	1.6.18	2800
6	Sukhbir Kumar	1.6.18	2800
13	Menu Kumar	1.6.18	3300
1	Harpreet Singh	1.6.18	3300
3	Shyam Kant	1.6.18	3300
1	Dlbar Khan	1.6.18	2800
2	Dilbag Singh	1.6.18	2800
3	Shabir Khan	1.6.18	2800
10	Gurdyal Singh	1.6.18	2800
13	Mnu Chandel	1.6.18	2800
1	Ruchi Rana	1.6.18	4200
2	Saourav Kumar	1.6.18	3300
3	Madan lal	1.6.18	3300
4	Jugesh Saini	1.6.18	4200

5	Narender Kumar	1.6.18	3300
2	Raj Kumar	1.6.18	3300

12 नक्शा पारित शुल्क

(क) नक्शा पारित आवेदन शुल्क ₹0.51 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी नक्शे पारित करते समय प्रत्येक आवेदक से ₹5100 आवेदन शुल्क के रूप में वसूल जा रहे थे परन्तु निम्न वर्णित प्रकरणों में आवेदन शुल्क के रूप में ₹51000 की वसूली नहीं की गई थी। कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी न तो उक्त राशि की वसूली न किए जाने के सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट किया गया और न ही इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रति अंकेक्षण को अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई। अतः इस सम्बन्ध में या तो नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

माह	रसीद संख्या	आवेदक का नाम	राशि (₹)
09/17	23/6	श्री हंस राज	5100
	23/33	श्री दर्शन राम	5100
	27/7	श्री ललित कुमार	5100
	21/40	श्री जगत राम	5100
	22/87	श्री विनोद कुमार	5100
	22/85	श्री राज कुमार	5100
	22/50	श्री रोहितेश कुमार	5100
	23/30	श्री हरविन्द्र सिंह	5100
	23/22	श्री कुलदीप कुमार	5100
	23/21	श्रीमती कमलेश कुमारी	5100
		कुल योग	**51000**

(ख) निरीक्षण शुल्क एवं प्रतिभूति के रूप में ₹0.13 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी नक्शे पारित करते समय प्रत्येक आवेदक से ₹1000 निरीक्षण शुल्क ₹5000 muck Dumping Security एवं ₹2000 Security के रूप में वसूले किए जा रहे थे परन्तु निम्न वर्णित प्रकरणों में आवेदकों से निरीक्षण शुल्क muck dumping security एवं Security के रूप में ₹13000 की वसूली नहीं की गई थी। कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार या तो वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹13000 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

माह	रसीद सं0	आवेदक का नाम	निरीक्षण शुल्क **(Inspection Fee)(₹)**	**Muck dumping security (₹)**	(प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति) **Security (₹)**
09/17	21/38	श्री कृष्ण गोयल	1000	5000	2000
	22/87	श्री विनोद कुमार	––	5000	––
		योग	1000	10000	2000
		कुल योग	13000		

(ग) अंकेक्षण को सूचना/अभिलेख प्रस्तुत न करना

उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों की प्रति जिसके अन्तर्गत उक्त वर्णित शुल्क एवं प्रतिभूति की दरें निर्धारित की गई थी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके अभाव में वर्णित शुल्कों व प्रतिभूति की वसूली निर्धारित दरों अनुसार करने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नक्शा पारित शुल्क के साथ प्राप्त ₹2000 की प्रतिभूति आवेदकों को वापिस लौटाई जाती है जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 230 दिनांक 20.07.19 द्वारा प्रतिभूति

रजिस्टर, जिसमें प्राप्त प्रतिभूति राशियों व इनके वापिस लौटाए जाने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज हो, प्रस्तुत करने का आग्रह किया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्रतिभूतियों की प्राप्ति, वापिस लौटाना तथा लौटाने योग्य शेष राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) भवन नक्शा पारित शुल्क ₹0.03 लाख की कम वसूली करना

नगर परिषद द्वारा क्षेत्रफल (area) गणना में त्रुटि के कारण निम्न प्रकरणों में भवन नक्शा पारित शुल्क ₹2914 की कम वसूली की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 230 दिनांक 20.7.19 द्वारा इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹2914 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

माह	रसीद सं0	आवेदक का नाम	प्राप्त शुल्क (₹)	देय (₹)	कम प्राप्त शुल्क (₹)
09/17	23/30	श्री हरविन्द्र सिंह	236 (941.10 sqm. Plot area x 2.5 per sqm) (Development fee)	2360 (944.10 sqm. Plot area x 2.5 per sqm)	2124
	22/87	श्री विनोद कुमार	3151 (196.96 sqm. Covered area x 16 per sqm) (TCP Charges)	3834 (239.60 Sqm, covered area x 16 per sqm) (TCP Charges)	683
	22/87	श्री विनोद कुमार	492 (196.96 sqm, covered area x 2.5 per sqm) (Charges under HPMC Act 1994)	599(239.60 sqm, covered area x 2.5 per sqm) (Charges under hPMC Act 1994)	107
				योग	2914

(ङ) भवन नक्शे पारित फीस के वापिसी भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री अनुज कुमार से प्राप्त भवन नक्शे पारित फीस ₹15350 वाउचर संख्या 50 दिनांक 8.6.2018 के अन्तर्गत उनके द्वारा उक्त फीस ऑन लाईन जमा करवाने के कारण वापिस की गई परन्तु ऑन लाईन फीस उनके द्वारा किस तिथि को किस बैंक खाते में जमा की गई व वापिसी का औचित्य इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 सम्पत्ति कर ₹0.01 लाख की कम वसूली करना

नगर परिषद द्वारा गलत Factor के आधार पर गणना करने के कारण आवासियों से निम्न विवरणानुसार ₹937 के सम्पत्ति कर की कम वसूली की गई थी तथा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹937 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

नाम	रसीद संख्या एवं दिनांक	**Plot** का क्षेत्रफल	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति पर वसूला गया **property tax** (₹)	**property tax** की वसूली हेतु वास्तविक राशि (₹)	कम वसूली (₹)
Sh. Kapildev	21/74 of 11.9.17	56 sqm (28+28)	Commercial (Sop No.1)	56 sqm x 3 (F1) x 4 (F 2) x 4 (F 3) x 2 (F 4) x 3 (F5)=16128-1613 (10% of 16128)=14515 x 7.5%=1089	56 sqm x 3 (F1) x 4 (F 2) x 4 (F 3) x 3 (F 4) x 3.5 (F5)=28224-2822 (10% of 28224)=25402x 7.5%=1905	816
Sh. Ram Krishan	21/27 of 1.9.17	21.28 sqm		21.28 sqm x 3 (F1) x 4 (F2) x 4 (F3) x 2.5 (F 4) x 3.5 (F5)=8938-894	21.28 sqm x 3 (F1) x 4 (F2) x 4 (F3) x 3 (F4)x3.5 (F 5)=10725-1073	121

				(10% of 8938)=8044 x 7.5%=603	(10% of 10725)=9652 x 5%=724	
					Total	**937**

14 अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में ₹0.01 लाख की कम वसूली करना

नगर परिषद द्वारा बिजली एवं पानी के कनैक्शन लगवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में ₹300 शुल्क की वसूली की जाती है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री विमल कुमार को 4 nos connections (3 बिजली के एवं 1 पानी का) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसकी एवज में ₹1200 की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु रसीद संख्या 35/71 दिनांक 11.03.19 द्वारा (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 91) केवल ₹600 की वसूली की गई थी जोकि ₹600 कम थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225 दिनांक 16.7.19 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹600 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 शराब उपकर से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "झ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से परिषद को परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से निम्न विवरणानुसार ₹3184080 शराब उपकर की प्राप्ति हुई थीः–

वर्ष	शराब उपकर की प्राप्त राशि (₹)	टिप्पणी
2017–18	1452991	वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित
2018–19	1731089	वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित
कुल योग	**3184080**	

कई बार आग्रह के पश्चात भी शराब उपकर प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख/दस्तावेज तथा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई बोतलों की संख्या बारे कोई भी सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में उक्त प्राप्त

₹3184080 का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित शराब उपकर भी अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक परिषद को प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने के साथ–2 वर्ष 2018–19 के लिए देय शराब उपकर की वसूली भी सम्बन्धित विभाग से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 बिजली उपकर

निदेशक, शहरी विकास की अधिसूचना संख्याः एलएसएचडी (1)–9/94–खण्ड–II दिनांक 13.12.2000 के अनुसार दिनांक 1.1.2001 से विद्युत बोर्ड द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली उपकर सम्बन्धित नगर परिषद को दिया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "झ"** पर उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान विद्युत बोर्ड से बिजली उपकर की कोई भी राशि प्राप्त नही हुई थी और न ही परिषद द्वारा बिजली उपकर की प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही की गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए देय बिजली उपकर की विद्युत बोर्ड से शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पग उठाए जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्तियाँ एवं बकाया राशियों से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बिजली उपकर व शराब उपकर की मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव न हो सका कि वर्णित उपकरों की विशेष अवधि व तिथि को निर्धारित दर से कुल कितनी राशि प्राप्ति योग्य थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी वसूली हेतु बकाया थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 35 में भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अभिलेख के अनुरक्षण न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का उचित प्रकार से अनुरक्षण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 मोबाईल टावरों के स्थापना व नवीनीकरण शुल्क सम्बन्धी जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर्स एवं Anteenas के एवज में सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से निर्धारित दरो पर एक मुश्त स्थापना एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184 दिनांक 30.04.19 व 218 दिनांक 2.7.19 द्वारा परिषद क्षेत्र में स्थापित विभिन्न मोबाईल कम्पनियों के टावर्स एवं उनके अतिरिक्त anteenas बारे सूचना/अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाई गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 43 द्वारा भी यह अनियमितता नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही न करना नगर परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है। नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावर शुल्कों की वसूली न करने के कारण नगर परिषद कोष को लाखों रूपये की राजस्व हानि हो रही है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता हे। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर्स एवं anteenas सम्बन्धी पूर्ण अभिलेख तैयार एवं अद्यतन (Update) किया जाये तथा मोबाईल टावर स्थापना की तिथि से सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय–2 पर जारी अनुदेशों के दृष्टिगत निर्धारित दरों के अनुसार देय स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

19 तहबाजारी को ठेके पर दिये जाने सम्बन्धी अनियमितताऐं

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान M/S Tanishak Enterprises, VPO Manpura Tehsil Baddi, Distt Solan को तहबाजारी एकत्रित करने का ठेका ₹6931000 में आबंटित किया गया था तथा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ञ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा ठेकेदार से दिनांक 31.03.19 को ₹3851700 वसूली हेतु शेष दर्शाए गए थे जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। वास्तविकता में नगर परिषद ने पत्र संख्या MC/Baddi/Tehbazari/2018-825-28 दिनांक 11.05.2018 द्वारा उपरोक्त ठेकेदार को तहबाजारी का ठेका आबंटित करके एक वर्ष की अवधि के लिए (01.06.18 से 31.05.19 तक) अनुबन्ध किया था तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा ठेके की राशि का 30% ठीक नीलामी के पश्चात 40% राशि अनुबन्ध करने के 30 दिन के भीतर तथा शेष 30% राशि अनुबन्ध करने के 90 दिन के भीतर जमा करवाया जाना अपेक्षित था। परिषद ने पत्र संख्या MC/Baddi/Tehbazari/2018 शून्य दिनांक 28.08.18 द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध की शर्तों के

अनुसार ठेके की शेष राशि जमा करवाए जाने का आग्रह किया गया था परन्त ठेकेदार द्वारा शेष राशि जमा करवाने में असमर्थता दर्शाते हुए अपने नोटिस दिनांक 20.06.18 तथा 9.01.19 द्वारा परिषद पर आरोप लगाया कि परिषद द्वारा तहबाजारी धारकों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी क्योंकि परिषद द्वारा टैंडर के समय बददी क्षेत्र में 962 से अधिक रेहड़ी, फड़ी वाले गली विक्रेता आदि होने का दावा किया था जबकि क्षेत्र में उनकी संख्या 500 से अधिक नहीं थी और उन्होने 962 रेहड़ी एवं फड़ी वालों को ध्यान में रखते हुए ही इतनी अधिक बोली लगाई थी जबकि वास्तव में यह संख्या 500 से अधिक नहीं थी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा परिषद पर तहबाजारी इकटठी करने हेतु स्थान चिन्हित न करवाने का आरोप भी लगाया गया था और आग्रह किया गया कि रेहड़ी, फड़ी वाले, गली विक्रेता आदि की संख्या का पुनः Survey करवाकर ठेके की राशि को review/समीक्षा की जाए। परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 22.01.19 व 18.01.19 में ठेकेदार की शिकायत को ध्यान में रखते हुए ठेके की राशि कम करके ₹4049210 कर दी गई थी जिससे स्पष्ट होता है कि तहबाजारी को ठेके पर देने से पूर्व परिषद द्वारा तहबाजारी धारकों व तहबाजारी इकटठी करने हेतु चिन्हित स्थानों की सही संख्या की जानकारी टेंडर में न देने के कारण अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुआ परिणामतः नगर परिषद को तहबाजारी ठेका राशि की प्राप्ति में विलम्ब होने से वित्तीय हानि उठानी पड़ी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त देय बकाया राशि के अभिलेख में आवश्यक शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जाए उपरोक्त के अतिरिक्त कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न अंकेक्षण टिप्पणियों के सन्दर्भ में परिषद द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सूचना/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वर्णित प्रकरण का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

(i) परिषद द्वारा जिस आधार पर पूर्व में रेहड़ी, फड़ी वाले, गली विक्रेता आदि की संख्या 962 से अधिक तथा बाद में लगभग 562 दर्शाई थी इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) प्रथमतः M/S Yashita enterprises, vllage Kataha, Tehsil Baddi, Distt Solan ने उक्त ठेके हेतु अधिकतम बोली लगाई थी किन्तु बाद में इस ठेके को लेने की असमर्थता व्यक्त करके यह ठेका नहीं लिया था। नगर परिषद द्वारा ठेका न लेने के एवज में शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म की एक लाख की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई थी परन्तु इससे सम्बन्धित

अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में जब्त की गई प्रतिभूति राशि की वसूली की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी।

(iii) ठेके हेतु 5 फर्मों की बोलियाँ नीलामी शीट में दर्ज की गई थी परन्तु नीलामी शीट में दर्ज अधिकतम बोलियाँ ठेका आबंटित राशि बहुत कम थी। उदाहरण के लिए M/STanishak Enterprises, VPO Manpura, Tehsil Baddi, Distt. Solan को यह ठेका ₹6931000 में आबंटित किया गया था परन्तु नीलामी शीट में उनके द्वारा अधिकतम लगाई गई बोली ₹62 लाख दर्ज थी जोकि ठेका आबंटन राशि से ₹731000 कम थी जिससें संशय उत्पन्न होता है कि किस आधार पर ठेका ₹6931000 में आबंटित किया गया । अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त तहबाजारी ठेके की बकाया राशि की वसूली व ठेकेदार द्वारा आरम्भ से समय–2 पर परिषद कोष में जमा करवाई गई कुल राशि से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष संज्ञान में उचित छानबीन उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की करने के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख/सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है।

20 वाहनों की पार्किंग हेतु बनाये गये स्थानों से आय प्राप्त न होना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ट"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में आठ स्थानों पर 295 वाहनों की पार्किंग हेतु पार्किंग स्थानों का निर्माण किया गया है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 229 दिनांक 20.7.19 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में इन पार्किंग स्थानों से अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय का विवरण मांगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई यद्यपि मौखिक चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि परिषद द्वारा इन पार्किंग स्थानों को ठेके पर देने हेतु कई बार प्रयत्न किया गया था परन्तु इन स्थानों को ठेके पर नहीं दिया जा सका तथा वर्णित पार्किंग स्थलों से परिषद को कुछ भी प्राप्त नहीं हुई थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 31 में भी इस सन्दर्भ में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी इन पार्किंग स्थानों से कोई आय प्राप्त न होना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है जिसके कारण नगर परिषद कोष को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की वित्तीय हानि हो रही है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में इन पार्किंगों को गत कई वर्षों से ठेके पर न देने के कारणों की जाँच करने व इन पार्किंग स्थानों को ठेके पर देने हेतु अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही

अमल में लाने हेतु लाया जाता है ताकि परिषद कोष को भविष्य में होने वाली हानि से बचाया जा सके।

21 विज्ञापन शुल्क की वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय प्राप्त न होने के कारण वित्तीय हानि

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ठ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 में क्रमशः शून्य तथा ₹98050 विज्ञापन एवं होडिंग (Hoarding) शुल्क की आय प्राप्त हुई थी। वर्ष 2017–18 में इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी आय प्राप्त न होने बारे परिषद द्वारा अंकेक्षण को कोई भी औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया तथा ऐसे में वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई आय प्राप्त न होना परिषद की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः यह प्रकरण पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में विज्ञापन एवं होर्डिग (Hoarding) शुल्क से आय की निरन्तर प्राप्ति हेतु उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित की जाए ताकि परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

22 पालतू कुत्ता शुल्क की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पालतू कुत्ता शुल्क के रूप में कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी पालतू कुत्ता शुल्क की वसूली न किए जाने के सन्दर्भ में आपत्ति उठाई गई परन्तु वर्तमान अंकेक्षण तक इस सन्दर्भ में कोई भी ठोस कार्यवही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा पालतू कुत्ता शुल्क की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

23 विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को ₹2.22 करोड की अग्रिम राशि का अनियमित भुगतान करना

नगर परिषद बददी के लेखाओं अवधि 01.04.17 से 31.03.19 तक के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2017–18 व 2018–19 के दौरान ठेकेदारों को विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए **परिशिष्ट "ढ"** में दिए गए विवरणानुसार ₹22160000 के अग्रिम

दिये गये थे । उपरोक्त अग्रिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लेखा संहिता के निम्न प्रावधानों के कारण अनियमित/अनाधिकृत पाये गयेः–

(i) C.P.W.D. Code के अनुच्छेद 10.2.22 (a) व (b) के अनुसार ठेकेदारों को अग्रिम राशि देय नहीं है, परन्तु असाधारण एवं अति आवश्यक परिस्थितियों में उनके द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई निर्माण सामग्री के मूल्य की 75% राशि अग्रिम के रूप में दी जा सकती है या कुछ Specialized व Capital intensive निर्माण कार्यों के लिए जिनकी लागत–2 करोड़ से कम न हो का 10% अग्रिम के रूप में दिया जा सकता है जबकि नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों की कुल लागत की 80% से भी अधिक राशि अग्रिम के रूप में दी गई थी जोकि उक्त नियमों के प्रावधानों के विपरीत है जिस बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ii) CPWD Code के अनुच्छेद 10.2.23 के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम राशि के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि ठेकेदार द्वारा अग्रिम के रूप में ली गई राशि से अधिक मूल्य/कार्य मात्रा का कार्य किया जा चुका है। उक्त प्रमाण पत्र व किए गए कार्य की मात्रा व राशि का विवरण अग्रिम राशि जारी करने से पूर्व सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से नहीं लिया गया जिसके अभाव में यह पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी कि अग्रिम राशियां वास्तव में नियमानुसार अपेक्षित कार्य मात्रा के पूर्ण करने पर दी गई या नहीं। अतः नियमानुसार अपेक्षित कार्य मात्रा के पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिए बिना अग्रिम राशि के भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(iii) CPWD Code के अनुच्छेद 10.2.23 में दिये गये नोट के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए एक लाख रूपये से अधिक के अग्रिम नहीं दिये जा सकते है तथा इन अग्रिमों को जारी करने की तिथि से छः माह में निर्माण कार्य पूर्ण एवं माप पुस्तिका में प्रविष्टि करके इनका समायोजन किया जाना आवश्यक है परन्तु संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए गए अग्रिम ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान किए गए तथा इनका समायोजन छः माह के पश्चात किया गया है जोकि नियमों के विपरीत है और

(iv) नियमानुसार अग्रिमों के भुगतान व समायोजन की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जानी अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा किसी भी अग्रिम राशि की प्रविष्टि माप पुस्तिका में नही ंकी गई थी। इसी प्रकार अग्रिम राशियों की वसूलियां माप पुस्तिका में न करके ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिल में ही की गई थी जैसा कि संलग्न सूचि में वाउचर संख्या 8 व 45 दिनांक 8.8. 2017 व 18.10.2017 द्वारा समायोजन/वसूली की गई अग्रिमों ₹200000 व ₹100000 की

प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में नहीं की गई थी। अतः नियमानुसार अग्रिम राशियों की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में न करने का औचित्य स्पष्ट की जाये।

इस प्रकार नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों के लिए दिए गए उक्त ₹2.21 करोड़ के अग्रिमों में से दिनांक 31.3.2019 तक ₹2375000 के अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे। लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 194 व 222 दिनांक 30.5.19 व 5.7.19 द्वारा उक्त अनियमित एवं अनाधिकृत अग्रिम के भुगतान बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करने व शेष अग्रिमों के समायोजन बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास हि0प्र0 एवं हि0प्र0 सरकार के विशेष ध्यान में निर्माण कार्यों के लिए परिषद द्वारा दिए जा रहे अनियमित व अनाधिकृत अग्रिम राशियों के भुगतान की प्रवृति पर रोक लगाने हेतु एवं विस्तृत एवं गहन छानबीन उपरान्त आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने के साथ–2 यह सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है कि उक्त प्रकरण में नगर परिषद को कोई भी वित्तीय हानि नहीं हुई है।

24 सफाई कार्य पर वर्ष 2017–18 व 2018–19 में ₹187.18 लाख का अनियमित व अनाधिकृत व्यय किया जाना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद बददी द्वारा दैनिक समाचार पत्र "एनकाउटर" जालन्धर से प्रकाशित दिनांक 18.12.2016 को व "पृथ्वी लोक" सप्ताहिक समाचार पत्र में दिनांक 13.12.2016 से 19.12.2016 को प्रकाशित निविदा सूचना के माध्यम से नगर परिषद बददी के विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था के कार्य का ठेका अवधि 1.1.2017 से 31.3.2018 तक देने के लिए निम्न विवरणानुसार निविदायें आमन्त्रित की गई थीः–

Sr.No. of Job	**Working area for which tender called**	**No. of Sanitary Workers to be deployed**
Tender for job No.1	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.1	4
Tender for job No.2	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.2	4
Tender for job No.3	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.3	4
Tender for job No.4	For cleaniness of roads, drains &	6

	streets of Ward No.4	
Tender for job No.5	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.5	6
Tender for job No.6	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.6	8
Tender for job No.7	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.7	6
Tender for job No.8	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.8	6
Tender for job No.9	For cleaniness of roads, drains & streets of Ward No.9	21
Tender for job No.10	Cleanines of roads, drains & Streets of commercial complex & Sai road Baddi	16
Tender for job No.10	Cleanines of roads, drains & streets of industrial area & Subzi Mandi	14
Tender for job No.12	For hiring Trycycle (3 Tyre Rehri) for carriage of garbage to the dumping, place	12

समाचार पत्रों में प्रकाशित उपरोक्त निविदा सूचना के सन्दर्भ में निम्न तीन फर्मों/संस्थाओं से उपरोक्त सभी 12 वार्डों/कार्यों हेतु अलग–2 टैण्डर प्राप्त हुए जिनमें इन फर्मों/संस्थाओं द्वारा प्रति सफाई कर्मचारी निम्न दरें दर्शाई गई थीः–

क्र0सं0	संस्था का नाम	दर प्रति सफाई कर्मचारी प्रति माह
1	M/S Trarget Green Lanet	8340
2	M/S Wagle Service Shimla	10500
3	M/S New Eagle Service Kacchi Ghatti	9340

उपरोक्त न्यूनतम टैण्डर के आधार पर मै0 तारगेट ग्रीन पलानेट बददी (हि0प्र0) को सभी वार्डों की सफाई का ठेका कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या एम0सी0 बददी/सफाई /2016–1614 से 2015 दिनांक 27.12.16 द्वारा हुए समझौते के अनुसार ₹6950 प्रति सफाई कर्मचारी प्रतिमाह की दर से निम्न विवरणानुसार आबंटित किया गयाः–

Sr.No of Job	Working area for which tender called	No. of Sanitary Workers Deployed	Quted rate	Negotiated rate	Negotiated amt w.e.f 1.1.17 to 31.3.18
Tender for job No.1	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 1	4	8340	6950	417000
Tender for job No.2	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 2	4	8340	6950	417000
Tender for job No.3	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 3	4	8340	6950	417000
Tender for job No.4	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 4	6	8340	6950	417000
Tender for job No.5	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 5	6	8340	6950	625500
Tender for job No.6	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 6	8	8340	6950	834000
Tender for job No.7	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 7	6	8340	6950	625500

Tender for job No.8	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 8	6	8340	6950	625500
Tender for job No.9	For cleaniness of roads, drains & streets of ward No. 9	21	8340	6950	2189250
Tender for job No.10	Cleaniness of roads, drains & Streets of commercial complex & Sai road Baddi	14	8340	6950	1459500
Tender for job No.12	Cleaniness of roads, drains & streets of Industrial area & Subzi Mandi	12	8340	6950	1251000
Tender for job No.12	For hiring Trycycle (3 Tyre Rehri) for carriage of garbage to the dumping place	16	8340	6950	1668000

उपरोक्त सफाई कार्य को ठेके पर देने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियां अपेक्षित है जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 102 के अनुसार टैण्डर प्रकाशित करने की सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी अपेक्षित थी परन्तु टैण्डर सूचना ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई जिनके पाठकों की संख्या बहुत सीमित है। इस प्रकार टैण्डरों का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया जिस के कारण सफाई कार्य हेतु ठेकेदारों में व्यापक प्रसार व प्रतिस्पर्धा भी नहीं हुई है परिणामतः ठेकेदारों को उच्च दरों पर कार्य आबंटन की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः व्यापक प्रचार किये बिना कार्य के आबंटन को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य आबंटन में किसी भी ठेकेदार को उच्च दरों पर कार्य आबंटित नहीं किया गया है तथा परिषद

को कोई वित्तीय हानि उठानी पड़ी है अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये व भविष्य में टैण्डर नोटिस का नियमानुसार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करके व्यापक प्रचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 216 दिनांक 2.7.2019 द्वारा सफाई कार्य के लिए लगाए गए प्रत्येक कर्मचारी का नाम उसके पिता का नाम उसका पता व आयु तथा उसकी प्रतिदिन की उपस्थिति का विवरण/Attendence Chart अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में सफाई कार्य के लिए लगाए गए 107 सफाई कर्मचारियों के वास्तव में कार्य करने/वेतन के भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अपेक्षित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) उपरोक्त विभिन्न वार्डों में सफाई कार्यों के लिए लगाए गए सफाई कर्मचारियों द्वारा वार्ड के किस क्षेत्र मुहल्ले/स्थान की सफाई का कार्य किया गया और क्या सफाई कार्य पूर्ण एवं सन्तोषजनक पाया गया इसका अभिलेख में कोई विवरण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया गया था जोकि नियमानुसार भुगतान से पूर्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। अतः अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

25 सब्जी मण्डी की सफाई के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति/तैनाती पर ₹1.39 लाख का संदिग्ध व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 5 दिनांक 4.9.17 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र की सफाई के लिए माह 8/2017 में मै0 तारगेट ग्रीन पलानेट बददी को ₹581782 का भुगतान किया गया था जिसमें सब्जी मण्डी की सफाई के लिए लगाए गए 6 सफाई कर्मचरियों के वेतन ₹40355 का भुगतान भी शामिल था। इसके अतिरिक्त वाउचर संख्या 4 दिनांक 4.9.2017 द्वारा सब्जी मण्डी की सफाई हेतु 4 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के वेतन ₹27800 का भुगतान अलग से किया गया था तथा इन अतिरिक्त सफाई कर्मचरियों के वेतन पर अवधि 1.8.17 से 31.12.17 तक (27800 x 5) =₹139000 का अतिरिक्त व्यय किया गया था जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि अभिलेख में न तो इन सफाई कर्मचारियों का नाम पता आयु का कोई विवरण दिया गया और न ही इन अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों से सब्जी मण्डी के किस स्थान पर क्या–क्या कार्य करवाया गया था इसका कोई उल्लेख दिया गया था और

न ही इन कर्मचारियों का उपस्थिति चार्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इस सन्दर्भ में सब्जी मण्डी के सफाई के लिए अतिरिक्त वेतन ₹139000 के भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के साथ–2 नगर परिषद का प्रस्ताव व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से लेखा परीक्षा अधियाचना संख्याः 200 दिनांक 13.06.2019 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है। तदोपरान्त कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

26 नियमानुसार विहित औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ₹4.04 लाख का व्यय करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 10 माडुलर रिक्शा (Modular Rikshaw) को क्रय करने तथा 4 ट्रेक्टरों को ट्रालियों सहित नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा उठाने के लिये किराये पर लेने हेतु माह 8/17 में ₹404400 का भुगतान किया गया थाः–

Vr.No./Dt.	Name of Firm	Particulars	Qty	Rate	Amt. (₹)
10/7.9.17	M/S Oceano Graphics, Commerial Art studio, Vita Bhawan Sector-23, Chandigarah	Supply of Modular Rickshaw for solid waste management. As per specification	10	27500	275000
6/4.9.17	M/S Saurav Kumar Singh, S/O Sh. Nav Rattan Singh R/O H.No. 339 HBC Baddi	Providing Tractor with Trolley on hire basis for lifting of Garbage from M.C. area Baddi and disposal at approved dumping site for the month of 8/2017	4	32350	129400
				Total	**404400**

उपरोक्त भुगतान का अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) उपरोक्त निविदाओं पर कोई दिनांक नहीं लिखी गई थी और न ही निविदाओं के साथ कोई भी डाक का लिफाफा (cover) संलग्न था जिससे उक्त निविदायें व्यक्तिगत रूप में विक्रेताओं से (By hand) केवल मात्र औपचारिकता पूर्ण करने हेतु प्राप्त की गई प्रतीत होती है जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

(ii) निविदायें कार्यकारी अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ही हस्ताक्षरित की गई थी जबकि निविदायें कम से कम तीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) उपरोक्त मोडुलर रिक्शा के क्रय पर ₹275000 व 4 ट्रैक्टर ट्रालियों सहित के किराये पर ₹129400 प्रतिमाह की दर से वर्ष 2017–18 में ₹1552800 का व्यय किया गया था। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 102 के अनुसार उपरोक्त खरीद/लेन–देन से पूर्व टैण्डर समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त किये जाने आपेक्षित थे ताकि वास्तविक पूर्ण प्रतियोगात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सकता था। अतः नियमानुसार विहित क्रय प्रक्रिया न अपनाकर उक्त किए गए व्यय में अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस सन्दर्भ में पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में क्रय की उचित विहित प्रक्रिया अपनाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

27 LED TV के क्रय में पाई गई अनियमितताएं

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 26 (A) दिनांक 12.9.17 द्वारा निम्न विवरणानुसार मै0 गुरू नानक इलैक्ट्रिकल सेक्टर–1 परवाणु से LED TV 40 इंच का क्रय किया गया थाः–

Sr.No.	Particulars of item purchased	Qty	Amt. (₹)
1	LED TV 40 inch	1	22500
2	VIDECON D2HDish 1 year Recharge	1	5800
	CGST @		4046

SGST @			4046
		Total	**36392**

उपरोक्त क्रय से पूर्व निम्न निविदाएं प्राप्त की गई थीः–

Sr.No.	Name of Firm	Particulars of item purchased	Qty	Amt (₹)
1	Shri Guru Nanak Electrical Sector-1 Parwanoo, Dealer of Havels HPL, L & T, Helonixe	LED TV 40 I	1	22500
		VIDECON D2H Dish 1 Year Recharge GST @28%	1	5800
2	Taran Enterprise, Deals in:All type of Electrical, Hardware Fancy lights	LED TV 40 Inch	1	27000
		VIDECON D2H GST @28%	1	6200
3	M/S Amrit Electricals (house of electrical goods and appliances)	LED TV 40 Inch	1	28500
		VIDECON D2H Dish 1 Year Recharge GST @28%	1	6400

अंकेक्षण के दौरान उक्त LED TV के क्रय में निम्न अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) LED TV Properietry nature की होने के कारण इसे विडियोकॉन LED TV के अधिकृत विक्रेता से ही खरीदा जाना अपेक्षित था, परन्तु अभिलेख में श्री गुरू नानक इलैक्ट्रिकल सेक्टर–1 परवाणु के पक्ष में विडियोकॉन द्वारा प्रमाणित अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र उपलब्ध

नहीं था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि LED TV की खरीद अधिकृत विक्रेता से नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर प्राप्त निविदाओं में विक्रेताओं का पता (Address) नही लिखा गया था जिसके अभाव में उक्त निविदाएं किन अधिकृत एलईडी विक्रेताओं से कहां से और किस माध्यम से प्राप्त की गई थी यह अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट न हो सकी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(3) उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निविदाएं हस्तगत रूप से विडियोकॉन के अधिकृत विक्रेताओं से प्राप्त न करके अन्यों से केवल मात्र औपचारिकताएं पूर्ण करने व सम्बन्धित फर्म को अनुचित लाभ देने के प्रयोजन से उच्च दरों पर प्राप्त की गई प्रतीत होती है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा क्रय के लिए भुगतान की गई राशि की अधिकृत विक्रेता की तत्कालीन दरों से तुलना की जाए तथा अधिक भुगतान पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 AC रिवोलविंग चेयर, सिलिंग फैन इत्यादि के क्रय में पाई गई अनियमितताएं

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार बिजली के सामान AC रिवोलविंग चेयर, सिलींग फैन इत्यादि का क्रय किया गया था:—

वा0सं0 व दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	क्रय का विवरण	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि (₹)	टिप्पणी
35/1.6.18	M/S Guru Nanak Electrical Parwanoo	Service wire 2 Core (10 mm)	10	4300	43000	क्रय से पूर्व निविदायें प्राप्त नहीं की गई।
36/1.6.18	M/S Goyal Electrical, Baddi	Purchase of Eectrical Material i.e. Ventilatior fan, Exhaust Fan, MCB DP 63 Amp, LED tube set, screw, tape etc			7760	विक्रेताओं से प्राप्त की गई निविदाओं में व बिल में दिनांक Quality & make का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

37／1.6.18	M/S Sharma Electricals, Baddi	Repair and service of AC in MC Baddi (Purchase of AC Compressor, indoor unit, STB for A/C, wire etc)			30069	निविदाओं व बिल में व Supply Order में पत्र संख्या व दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया था
38／1.6.18	M/S Sant Arts, Baddi	Flex Banner printing	464 sqft	22	12045 including GST 1837.44	फलेक्स बैनर की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई।
40／1.6.18	M/S Sidhi Vinayak interiors, Baddi	Executive Revolving Chair Heavy			7670	क्रय से पूर्व न निविदाये प्राप्त नहीं की गई और नहीं रिवॉलविंग चेयर की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई
52／8.6.18	M/S Shiv Drill Service Baddi	Repair of Bore well/Purchase of submersible Motor with pump			63275	निविदाओं को आमन्त्रित करने हेतु दी गई सूचना व Supply Order में पत्र संख्या व दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।
55／8.6.18	M/S SK Religeration	AC service and Gas filling			2250	रिपेयर रजिस्टर का रख–रखाव नहीं

	and air condition	Charges				किया गया
55/8.6.18	M/S SK Refigeration and air condition	AC service and Gas filling Charges			2250	रिपेयर रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया
57/8.6.18	M/S Swami Auto, Baddi	Repair Charges of Eicher Dumper HP 12 H 0299			2582	रिपेयर रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया
61/19.6.18	BSNL Baddi	Telephone Bill			2496	टेलीफोन रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया।
		2017–18				
26 A/ 12-6-17	M/S Guru Nanak Electricals, Sector-1, Parwanoo	Providing & fixing of 250 watt. Choke	6	1150	6900	निविदाओं व बिल में व Supply Order में पत्र संख्या व दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया
		Providing & fixing of 250 watt.bulb	10	550	5500	
		Providing & fixing of lgnitir	4	150		
					GST 1820	
		Celling fan			16640	
26A/12.6.17	M/S Guru Nanank Electricals, Sector-1 Parwanoo	Celling fan	10	1400	14000 3920 (CGST & SGST) 17920	निविदाओं व Supply Order में पत्र संख्याः व दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया

उपरोक्त क्रय के अंकेक्षण में निम्न अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

(i) वाउचर संख्या 35 व 40 दिनांक 1.8.2018 व दिनांक 1.6.2018 द्वारा वस्तुएं क्रय से पूर्व नियमानुसार निविदायें प्राप्त नहीं की गई जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

(ii) वाउचर संख्याः 38, 40, 55 व 57 द्वारा क्रय किये गये फलेक्स बैनर व रिवालविंग चेयर की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई। अतः सामान को बिना स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब स्टॉक रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण में सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) वाउचर संख्याः 55 व 57 द्वारा रिपेयर किये गये Bore well व Eicher Dumper की रिपेयर रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया जिसके अभाव में समय—समय पर इनकी रिपेयर पर किये गए व्यय एवं सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित स्वीकृति का अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः रिपेयर रजिस्टर का रख—रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में रिपेयर रजिस्टर का रख—रखाव व अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

29 सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न (Avoid) करने के प्रायोजन से निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बांटने सम्बन्धी अनियमितता

H.P.Municipal Works Rules 2010 के नियम 3 (1) में वर्णित प्रावधानानुसार नगर पालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा नियम 4 (2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियन्ता को केवल तीन लाख व सहायक अभियन्ता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति को प्राप्त न (Avoid) करने के प्रयोजन से निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बांटकर अपने स्त्तर पर ही परिषद/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थी जोकि वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार

पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	**Vr.No./ Month**	**Mname of Contractor**	**Name of work**	**Total Amt. of bill (₹)**
1 (i)	6/4/47	Jawahar Earth Movers	Pavement of plateform for street vendor near Sabji Mandi (PL CC flooring)	527658
(ii)	6/4/47	Jawahar Earth Movers	Pavement of plateform for street vendor near Sabji Mandi (PL CC flooring)	541442
2 (i)	30/4/17	Yashpal Singh	Channelization of Nallah Harijan Basti Ward No. 9 Baddi	470321
(ii)	30/4/47	Yashpal Singh	Channelization of Nallah Billanwali Gujaran Harijan Basti W.No. 9 RD 0/140 to 0/175	235140
(iii)	30/4/17	Yashpal Singh	Channelization of Nallah Billanwali Gujaran Harijan Basti W.No. 9 RD 0/105 to 0/140	394260
(iv)	30/4/17	Yashpal Singh	R/M of road HBC-3 Baddi	550658
3 (i)	31/4/17	Rajan Kumar	Channelization of Nallah near Fauji Complex for P/L CC flooring etc.)	268437
(ii)	31/4/17	Rajan Kumar	Channelization of Nallah near Fauji Complex Phase-1	329978
(iii)	31/4/17	Rajan Kumar	Channelization of Nallah near Fauji Complex for P/L	506568

			CC flooring etc.)	
4 (i)	12/6/17	Gurmeet Singh	Const. of shops/stalls for street vendors in W.No.3 Suraj Majra Labana near Taxi stand	518957
(ii)	12/6/17	Gurmeet Singh	Const.of Booths/stalls for street vendors in W.No.3 Suraj Majra Labana near Taxi stand	273610
(iii)	12/6/17	Gurmeet Singh	Const. of Booths/stalls for street vendors in W.No.3 Suraj Majra Labana near Taxi stand	771447
(iv)	12/6/17	Gurmeet Singh	Const. of Booths/stalls for street vendors in W.No.3 Suraj Majra Labana near Taxi stand	533101
5 (i)	14/9/17	Yashpal Singh	Restoration of damaged streets due to laying of sewerage line in billanwali Labana W.No.9	731420
(ii)	14/9/17	Yashpal Singh	Restoration of damaged streets due to laying of sewerage line in billanwali Labana W.No.9	402848
6 (i)	37/9/17	L.R.C. builders	Recarpeting of road damaged due to laying of sewerage line in HBC-1 Baddi	463798
(ii)	37/9/17	L.R.C. builders	Recarpeting of road damaged due to laying of	525705

			sewerage line in HBC-1 Baddi	
(iii)	37/9/17	L.R.C. builders	Recarpeting of road damaged due to laying of sewerage line in HBC-1 & 2 Baddi	558382
(iv)	37/9/17	L.R.C. builders	Recarpeting of road damaged due to laying of sewerage line in HBC-3 Baddi	589480
7 (i)	254/11/18	Narender Kumar	R/M of road sai road to Dhakru Majra Phase-1 Baddi	416042
(ii)	254/11/18	Narender Kumar	R/M of road sai road to Dhakru Majra Phase-II Baddi	384295
(iii)	254/11/18	Narender Kumar	R/M of road sai road to Dhakru Majra Phase-III Baddi	416659
(iv)	254/11/18	Narender Kumar	R/M of road Laj Dharamkanta towards Billwanwali Labana W.No. 8 Baddi	454139
8 (i)	259/11/18	Kamal Kumar	P/F of interlocking tiles on Amravati road starting from HBC-3 Chowk Phase-I	438530
(ii)	259/11/18	Kamal Kumar	P/F of interlocking tiles on Amravati road starting from HBC-3 Chowk Phase-II	446746

(iii)	259/11/18	Kamal Kumar	P/F of interlocking tiles on Amravati road starting from HBC-3 Chowk Phase-III	451374
(iv)	259/11/18	Kamal Kumar	Repair & Providing of interlocking tiles in Phase-III Chowk towards Amravati Appartments	470424
9 (i)	17/9/17	Kalyan Singh	Const. of rain shelter near Hanuman chowk (SH: foundation and plinth work)	451876
(ii)	18/9/17	Kalyan Singh	Const. of rain shelter near Hanuman chowk (SH: superstructure work)	628450
(iii)	19/9/17	Kalyan Singh	Const. of rain shelter near Hanuman chowk (SH: roof and Finishing work)	691205

30 निर्माण कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव न करना

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 के अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों बिलों की जाँच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

(i) CPWD Code-Vol-1 के पैरा 10 (e) (i) (d) के अनुसार माप पुस्तिका में प्रत्येक कार्य बिल की दर्ज प्रविष्टियों के प्रारम्भ में अनुबन्ध संख्याः व दिनांक, कार्य को प्रारम्भ व पूर्ण करने की तिथि, माप की तिथि इत्यादि का पूर्ण विवरण वर्णित किया जाना अपेक्षित है जबकि चयनित माहों में जाँच किये गये बिलों में उपरोक्त कोई विवरण नहीं दिया गया था जैसा कि माप पुस्तिका नं0 58 के पृष्ठ 52, 61 व माप पुस्तिका नं0 56 के पृष्ठ 64, 71 व 86 तथा माप पुस्तिका नं0 61 के पृष्ठ 45, 50, 56, 59, 71 व 76 में कार्य को प्रारम्भ व पूर्ण करने की तिथि

एवं माप की तिथि का विवरण माप पुस्तिका में नहीं दिया गया था जिसके अभाव में निर्माण कार्यों बिलों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः माप पुस्तिका में उपरोक्त विवरण न देने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ii) CPWD Code-Vol-1 के पैरा 10.2.8 (e) (ci) के अनुसार निर्माण कार्य के Estimate/Agreementes में वर्णित पूरा नाम ही माप पुस्तिका में दर्शाया जाना अपेक्षित है जबकि वाउचर संख्या 83 दिनांक 23.6.2018 के अन्तर्गत श्री अजय ठाकुर को भुगतान की गई Security ₹51815 के बिल में कार्य का नाम C/O drain from Baddi Sai road gullarwalla chowk toward Ward No. 7, 1 to 100 mtr दर्शाया गया है जबकि माप पुस्तिका नं0 57 पेज नं0 63 में उक्त कार्य का नाम C/O U-shop drain near Arist towards Gullarwalla on Sai Baddi Road दर्शाया गया था जोकि भिन्न प्रतीत होता है तथा ऐसे में प्रतिभूति राशि के गलत refund की स्थापना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमानुसार निर्माण कार्यों का विवरण माप पुस्तिका में न देने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उक्त अपेक्षित विवरण नियमानुसार ही माप पुस्तिका में वर्णित करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) विभिन्न निर्माण कार्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार Test Check न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा जितने भी निर्माण कार्य करवाये गये है उसमें सक्षम प्राधिकारी अर्थात निगम अभियन्ता/सहायक अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित Test Check नहीं किया गया था जबकि सी0पी0 डब्लयू0डी0 वर्क मैनूअल के नियम 7.29 के अनुसार किसी भी कार्य का बिल पास करने से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में इन्द्राज गणना का 50% व स्टील तथा Hidden item का 100% टैस्ट चैक सहायक अधिशाषी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार बिना टेस्ट चैक के ही नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान अनुमोदित कर दिया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है;–

(iv) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा टैण्डर में भरी गई दरों को बाजार मूल्य के साथ तर्क संगतता के आधार पर परखा जाता है (Justification of Rates is Prepared) परन्तु परिषद द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण अवहेलना करते हुए

किसी भी निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व जस्टीफिकेशन ऑफ रेटस तैयार नहीं किए गए थे जिसके अभाव में निर्माण कार्य संविदाकारों को आबंटन का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाएं।

(v) ठेकेदारों द्वारा टैण्डर में दी गई दरों के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी में शेडयूल की दरों से तुलना करते हुए कम अथवा आधिक्य प्रतिशत नहीं दर्शाया गया था (Percentage above or below the Scheduled Rates not being referred in comparative statement of tendered rates) जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा प्रारूप एम0डब्लयू0–14 पर "कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र" जारी किया जाना आवश्यक है परन्तु नगर परिषद में इस नियम की पूर्ण अवहेलना करते हुए किसी भी कार्य में यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) संविदाकार के चलत बिलों के साथ कार्य में उपयोग किए सीमेन्ट की खपत विवरणी (Consumption Statement) तैयार नहीं की गई थी जिसे अब तैयार व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए और

(viii) संविदाकार द्वारा कार्य में उपयोग किए गए सीमेन्ट के सत्यापन हेतु अनुबन्ध की शर्तानुसार सीमेन्ट क्रय के बिल वाऊचर के साथ संलग्न नहीं किए गए थे जिस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

31 निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹1.26 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद बददी के लेखाओं अवधि 01.04.17 से 31.03.19 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न निर्माण कार्यों बिलों की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को ₹125781 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 213 दिनांक 24.6.2019 द्वारा नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त अधिक भुगतान

राशि की वसूली करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में मौखिक रूप से सूचित किया गया कि उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः उक्त वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹125781 की वसूली शीघ्र उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) Vr.No./Date 17/1.9.17

Name of Contractor Sh.Kalyan Singh

Name of Work C/O rain Shelter near Hanuman Chowk

M.B.No. & Page no. 63P-13

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹4288.32 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

Item No.	**Name of Item**	**Qty entered in M.B.**	**Actual Oty. To be entered in M.B.**	**Diff.**	**Rate of items (₹)**	**amt. Excess paid (₹)**	**Remarks**
1	Steel work welded-the like	56.813 Qtl	56.304 Qtl	0.509 Qtl	8425 (Per Qtl)	4288.32	due to wrong total

(ख) Vr.No./Date 37/27.9.17

Name of Contractor M/S LRC Builders

Name of Work Re-carpeting of road damaged due to laying of sewerage line in HBC-Phase-III

M.B.No. & Page no. 63, P-37 & 38

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹23863 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

Item No.	Name of Item	Qty entered in M.B.	Actual Oty. To be entered in M.B.	Diff.	Rate of items (₹)	amt. Excess paid (₹)	Remarks
1	Surface dressing using….bitumen	1998.24 sqm	1917.69 sqm	80.55 sqm	12.00 per m2	967	due to wrong total
2	Proving & applying track coat with bitumen	1998.24 sqm	1917.69 sqm	80.55 sqm	43.00 per m2	3464	due to wrong total
3	Proving, laying & applying of open grade…. Bitumen	1998.24 sqm	1917.69 sqm	80.55 sqm	172.00 per m2	13855	due to wrong total
4	Providing seal coat…. bitumen	1998.24 sqm	1917.69 sqm	80.55 sqm	68 per m2	5577	due to wrong total
					Total	**23863**	

(ग) Vr.No./Date 45/29.9.2017

Name of Contractor M/S Narender Kumar

Name of Work P/L of paver tiles along the road in W.No.1 park

M.B.No. & Page no. 61, P-74

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹12087 का अधिक भुगतान किया गया था:—

Item No.	Name of Item	Qty entered in M.B.	Actual Oty. To be entered in M.B.	Diff.	Rate of items (₹)	Amt. Excess paid (₹)
4	Brick work using foundation	35.11 cum	32.74 cum	2.37 cum	5100 per cum	12087

(घ) Vr.No./Date 45/29.9.17

Name of Contractor M/S Narender Kumar

Name of Work C/O stage in park W.No.1

M.B.No. & Page no. 61, Page-83

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹32644 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

Item No.	Name of Item	Qty entered in M.B.	Actual Oty. To be entered in M.B.	Diff.	Rate of items (₹)	Amt. Excess paid (₹)
1	Excavation in foundation, trenches	24.94 Cum	22.94 Cum	2.0 Cum	247 per cum	494
2	P/L cement concret…	2.93 Cum	2.86 Cum	0.07 Cum	2950 pe Cum	206
3	P/L granite stone in flooring	51.30 Cum	44.92 Cum	6.38 Cum	2050 per Cum	13079
4	P/F corrugated G.I. Sheets	81.49 Sqm	62.24 Sqm	19.25 Sqm	980 per Sqm	18865
						32644

(ङ) Vr.No./Date 46/29.9.17

Name of Contractor M/S Narender Kumar

Name of Work Const.of Footpath in ward No. 1 & 2

M.B.No. & Page no. 61, Page-44

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹41152 का अधिक भुगतान किया गया था:—

Item No.	Name of Item	Qty entered in M.B.	Actual Oty. To be entered in M.B.	Diff.	Rate of items (₹)	Amt. Excess paid (₹)
2	P/L cement concrete…plinth	95.05 Sqm	81.10 Sqm	13.95 Sqm	2950 per Sqm	41152

(च) Vr.No./Date 20/11.9.17

Name of Contractor Sh.Vinod Kumar

Name of Work P/L of 60mm thick tiles & other Misc.Works in Toilet Block Complex W.No.4 Baddi

M.B.No. & Page no. 51 P-74

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹3156 का अधिक भुगतान किया गया था:—

Item No.	Name of Item	Qty entered in M.B.	Actual Oty. To be entered in M.B.	Diff.	Rate of items (₹)	Amt. Excess paid (₹)
28	Steel work welded in built up section, trussels and framed…….. rafter and the like	18.7116 Qtl	18.3370 Qtl	0.3746 Qtl	8425	3156

(छ) Vr.No./Date 74/22.6.18

Name of Contractor Sh.Kamal Kumar

Name of Work Restoration of road damaged due to laying of sewerage line in sita Atta Chaki to Pir Baba Bhillanwali

M.B.No. & Page no. 65 Page-12

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹830 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

Item No.	**Name of Item**	**Qty entered in M.B.**	**Actual Oty. To be entered in M.B.**	**Diff.**	**Rate of items (₹)**	**Amt. Excess paid (₹)**	**Remarks**
1	Excavation in foundation….. jumper work	69.97 Cum	66.61 Cum	3.36 Cum	247 per cum	830	Due to wrong total

(ज) Vr.No./Date 45/29.9.17

Name of Contractor Sh.Rajan Kumar

Name of Work Const. of parking near labour chowk Sai Road Baddi

M.B.No. & Page no. 58 Page-63

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹1482 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

Item No.	**Name of Item**	**Qty entered in M.B.**	**Actual Oty. To be entered in M.B.**	**Diff.**	**Rate of items (₹)**	**Amt. Excess paid (₹)**	**Remarks**
3	Finishing wall with weather proof smooth complete	292.97 m2	268.27m2	24.70m2	60 Per Sqm	1482	Due to wrong total

(झ) Vr.No./Date 84/23.6.18

Name of Contractor Sh.Rajan Kumar

Name of Work Const. of drain and uninal near HBC-1 Date Entry W.No.-9 Baddi

M.B.No. & Page no. 58 Page-53

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹4206 का अधिक भुगतान किया गया था:–

Item No.	**Name of Item**	**Qty entered in M.B.**	**Actual Oty. To be entered in M.B.**	**Diff.**	**Rate of items (₹)**	**Amt. Excess paid (₹)**	**Remarks**
1	Excavation in foundation…..jumper work	66.13 C	48.88 Cum	17.25 Cum	235 per Cum	4054	Due to wrong total
2	15mm cement plaster in single coat….. and smooth	83.96 cum	82.91 cum	1.05 cum	145 per cum	152	Due to wrong total
					Total	4206	

(ज) Vr.No./Date 41/29.9.17

Name of Contractor Sh.Narinder Kumar

Name of Work Steel work welded in built up…purlin in

M.B.No. & Page no. 56 Page-60

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹1405 का अधिक भुगतान किया गया था:–

Item No.	**Name of Item**	**Qty entered in M.B.**	**Actual Oty. To be entered in M.B.**	**Diff.**	**Rate of items (₹)**	**Amt. Excess paid (₹)**	**Remarks**
10	Steel work welded I built up section, trussels and	614.87 Kg	598.14 Kg	16.73 Kg	84.00 Kg	1405	Due to applying wrong

	frmaed….purlin in building						calculation factor

(ट) Vr.No./Date 45/29.9.17

Name of Contractor Sh.Narinder Kumar

Name of Work

M.B.No. & Page no. 61 Page-90

उक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना (Calculations) मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹668 का अधिक भुगतान किया गया था:–

Item No.	**Name of Item**	**Qty entered in M.B.**	**Actual Oty. To be entered in M.B.**	**Diff.**	**Rate of items (₹)**	**Amt. Excess paid (₹)**	**Remarks**
10	Steel work welded I built up section, trussels and frmaed….purlin in building	14.69 Qtl	14.61 Qtl	0.08 Qtl	8350 per Qtl	668	Due to applying wrong calculation factor

32 श्री प्रदीप कुमार, लिपिक को टाईपिंग भत्ते के रूप में ₹0.15 लाख का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री प्रदीप कुमार, लिपिक को उनकी नियुक्ति तिथि 11.01.2001 से ही "टंकण भत्ता" (Typing Allowance) ₹75 प्रतिमास की दर से दिया जा रहा था तथा दिनांक 31.8.2017 तक कुल भुगतान की गई ₹14925 बनती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए वर्गवार वेतन संशोधन करते हुए वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन–(पी0आर0)बी(7)–1/98 दिनांक 01.09.1998 की दूसरी अनुसूची के पैरा II के अनुसार "The rate of typewriting allowance to the typist clerks in the scale of ₹3120-5160 deployed on full time Basis shall be ₹75 per month with effect from the

01.09.1997 and for sanctioning typewriting allowance a certificate to the effect that the concerned clerk was actually deployed on typing work from the Head of Office will be required every month । अतः इस नियम के अनुसार यह भत्ता केवल उन्हीं टाईपिस्ट लिपिकों को दिया जाता है जो कार्यालय में पूर्णकालिक रूप से मात्र टंकण कार्य ही करते है और जिनके सन्दर्भ में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिमास यथोचित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है परन्तु श्री प्रदीप के प्रकरण में इस प्रकार का कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217 दिनांक 2.7.19 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में मौखिक रूप से सूचित किया गया कि उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कर दिया जायेगा। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 24 द्वारा भी इस सन्दर्भ में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए या तो उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति बिना आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण उनके वेतन व भत्तों पर अनियमित व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा एक लाईब्रेरियन, इलैक्ट्रीशियन दो हेल्पर व एक चौकीदार की नियुक्ति आउट सोर्स के आधार पर की गई है, परन्तु इनकी नियुक्ति की स्वीकृति हि0प्र0 सरकार के वित्त विभाग से नहीं ली गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (सी)–बी (15) 8/2013 दिनांक 1.7.2017 के अनुसार आउट सोर्स के आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग से प्राप्त की जानी आवश्यक है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा आउट सोर्स पर लगाए गए उक्त वर्णित कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति हिमाचल सरकार से प्राप्त न करने के कारण इन कर्मचारियों के वेतन पर वर्ष 2017–18 व 2018–19 में किया गया व्यय अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे हि0प्र0 सरकार की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

34 श्री रमेश कुमार माली को महंगाई भत्ते के रूप में ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री रमेश कुमार माली को अवधि 1.4.17 से 31.08.17 तक निम्न विवरणानुसार (4%) की दर से अतिरिक्त महंगाई भत्ते (@ 130% से 134%) की बकाया ₹1364 के स्थान पर ₹2182 का भुगतान किया गया था जोकि ₹810 अधिक था। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 195 दिनांक 31.5.2019 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने का अनुरोध किया गया था जिस सन्दर्भ में मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कर दिया जायेगाः—

अवधि	मूल वेतन (₹)	अतिरिक्त महंगाई भत्ता दर देय 4% (130 % से 134%)	10% नगर परिषद अंशदान	अतिरिक्त महंगाई भत्ते की कुल देय राशि	वास्तविक भुगतान राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.4.17 से 31.8.17= 5 माह	6200	248x5=1240	124	1364	2182	810

35 आपूर्तिकर्ता को बिल में गणना की त्रुटि के कारण ₹320 का अधिक भुगतान करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आपूर्तिकर्ता के बिल में गणना की त्रुटि के कारण नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹320 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

वा0सं0 / दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	क्रय का विवरण	मात्रा	दर (₹)	जितनी राशि भुगतान की जानी थी (₹)	वास्तविक भुगतान राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
86 / 23.6.18	मै0 प्रकाश जूस एवं	केला	10 दर्जन	60 प्रति दर्जन	600	600	0

	कान्फैक्श्नरी बददी						
		पैक जूस	90 पैकेट	15 प्रति	1350	1350	0
		कोल्ड ड्रिंक	14 बोतल	80 प्रति	1120	1440	320
		डिसपोजल ग्लास	200	1 प्रति ग्लास	200	200	0
				कुल	**3270**	**3590**	**320**

36 नगर परिषद के कर्मचारियों के सन्दर्भ में खोले गए/गिरवी रखे गए सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी पैन्शन योजना के खातों में जमा राशि का अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना

नगर परिषद के लेखाओं की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि परिषद कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली सामान्य भविष्य निधि खाता ग्रेच्युटी, पैन्शन फण्ड, अंशदायी पैन्शन फण्ड इत्यादि से सम्बन्धित कटौतियां बैंक में जमा करवाने के लिए विभिन्न बैकों में बचत खाते खोले गए है जो या तो कार्यकारी अधिकारी के पदनाम से है अथवा कर्मचरियों के नाम खुलवा कर कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी रखे गए है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियां अपेक्षित है जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद कर्मचारियों के वतन से प्रतिमास भविष्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए है परन्तु नगर परिषद द्वारा इस मद से सम्बन्धित लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है जोकि गम्भीर अनियमितता है।

(ख) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में वर्णित प्रावधानानुसार भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी0एफ0 7–1 से पी0एफ0 12 में रख–रखाव किए जाने वाले खातों/लैजर का नगर परिषद द्वारा अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। जिस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त अभिलेख के अभाव में कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौतियों की गणना उनके लेखांकन बैंक में जमा करवाया जाना इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच सम्भव न हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों का अनुरक्षण न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

37 नगर परिषद की देनदारियों के लिए संकलित अभिलेख तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः ₹12.22 करोड़ तथा ₹7.87 करोड़ निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये थे। इन कार्यों के बिलों में से नियमानुसार निर्धारित दर से जी0एस0टी0 आयकर, बिक्रीकर तथा लेबर सैस की कटौती की गई थी जिनका भुगतान नगर परिषद द्वारा समय–समय पर सम्बन्धित विभागों को किया गया था। चूंकि उपरोक्त सभी देनदारियां/कटौतियां परिषद के आहरण व वितरण अधिकारी को सरकार द्वारा सौंपा गया वैधानिक दायित्व है इसलिए इन देनदारियों के भुगतान के लिए परिषद के पास हमेशा जरूरी निधि उपलब्ध होने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखांकन तथा जांच के लिए संकलित अभिलेख का रख–रखाव किया जाना भी आवश्यक है। परिषद द्वारा इस प्रकार का संकलित विवरण तैयार नहीं किया गया था जिस के अभाव में अंकेक्षण के दौरान इन कटौतियों तथा इनके भुगतान की सम्पूर्ण जाँच सम्भव नहीं हो पाई। अतः इस महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसका प्राथमिकता के आधार पर रख–रखाव व अद्यतन करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

38 पैन्शन निधि में नियोक्ता अंशदान ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

परिषद द्वारा पैन्शन एवं ग्रेच्युटी नियोक्ता अंशदान हेतु कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% एवं 5% की दर से भुगतान किया जाता है परन्तु माह 03/19 में देय अंशदान ₹61252 (43237 (पैन्शन) +18015 (ग्रेच्युटी) की अपेक्षा ₹62534 (44519 (पैन्शन) +18015 (ग्रेच्युटी)) किया गया जोकि ₹1282 अधिक था। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान अंशदान का समाधान भविष्य में देय नियोक्ता अंशदान में समायोजन करके किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

39 **Dead Stock रजिस्टर का रख–रखाव न करना**

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा समय–2 पर पुराना बिजली का सामान बदला जाता है परन्तु पुराने बदले गये कीमती सामान की प्रविष्टि (Dead Stock register old replacement) मे नहीं की जाती है जिससे सामान के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियमों में विनिर्दिष्टित निर्देशों के अन्तर्गत बदले गये बिजली के कीमती सामान को निश्चित प्रक्रिया के पश्चात नीलामी की जानी अपेक्षित होती है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

40 **विश्राम गृह पंजिका के रख–रखाव में पाई गई अनियमितताएं**

(i) विश्राम गृह पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि पंजिका का रख रखाव उचित रूप से नही किया जा रहा था पंजिका में आगन्तुक का पूर्ण विवरण जैसे कि पता उसके विभाग/कार्यालय का पता उसके पद का नाम सम्बन्धी विवरण नहीं भरा जा रहा था जिसके अभाव में विश्राम गृह पंजिका का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में विश्राम गृह पंजिका में आगन्तुक का पता उसके विभाग/कार्यालय का पता उसके पद सम्बन्धी पूर्ण विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि विश्राम गृह से प्राप्त आय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियिमतता को नकारा जा सके।

(ii) रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 20.9.17 को (पृष्ठ संख्या 128) ₹1000 ठहराव चार्जिज के रूप में प्राप्त हुए थे परन्तु विश्राम गृह पंजिका में इस दिनांक को ₹1000 प्राप्ति से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई जिससे स्पष्ट होता है कि विश्राम गृह पंजिका का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था तथा ऐसे में किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया ता सकता है।

(iii) नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार आगन्तुंक (Visitor) से ठहराव चार्जिज के रूप में राशियाँ वसूली की गई थी परन्तु यह वसूलियाँ किस दर पर की गई थी इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/आदेश अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त प्राप्त ठहराव चार्जिज का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त पंजिका में उक्त अपेक्षित दरों का विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

रोकड़ बही पृ0सं0	दिनांक	राशि (₹)	आगन्तुक का नाम	ठहराव का उद्देश्य	टिप्पणी
119	4.9.17	1000	श्री संजीव	Official	2.9.17 से 4.9.17 तक ठहराव
128	20.9.17	200	श्री के0के0 शर्मा	अंकित नहीं	20.9.17 को ठहराव
130	27.9.17	500	श्री शान्तनु सिंह	Official	विवरण नहीं भरा गया

41 प्रतिभूति राशि का वापिसी भुगतान बिना मूल रसीद प्राप्त किए व बिना सिक्योंरिटी रजिस्टर में दर्ज किये करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री चरणजीत सिंह को वाउचर संख्या 50 दिनांक 8.6.2018 द्वारा दुकानों की नीलामी से पूर्व उन द्वारा जमा सिक्योरिटी राशि का वापिसी भुगतान बिना सिक्योरिटी रजिस्टर में दर्ज किये व भुगतान प्राप्ति की मूल रसीद प्राप्त किये बिना किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा ऐसे में प्रतिभूति राशि के दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सिक्योरिटी राशि का भुगतान सिक्योरिटी रजिस्टर में दर्ज करके व मूल रसीद की प्राप्ति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना को नकारा जा सके।

42 वाहन लॉग बुक के रख–रखाव में पाई गई अनियतिताएं

(i) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाहन संख्या एचपी–12सी–1860 की अवधि 04/17 से 3/18 व माह 10/18, 12/18 व 3/19 की लॉग बुक कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जिसके कारण लॉग बुक में दर्शायी गई यात्राओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः आवश्यक सत्यापन करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उक्त वाहन संख्या एच0पी0–12सी–1860 का स्पीडोमीटर अवधि 7.6.17 से 9.5.18 तक खराब था तथा इस अवधि में लॉग बुक में दर्शाई गई यात्राएं बिना स्पोडोमीटर के ही दर्शायी गई थी तथा इस प्रकार बिना स्पोडोमीटर के ईधन की खपत में अनियमितताओं की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः स्पोडोमीटर को 11 माह तक ठीक न करवाने बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है।

(iii) वाहनों द्वारा विभिन्न स्थानों तक तय की गई दूरी को एक मुश्त दर्शाया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार लॉग बुक में वाहन द्वारा Point to Point तय प्रत्येक दूरी को स्पष्ट रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित था तथा ऐसा न करके वाहन द्वारा तय दूरी की औचित्यता स्पष्ट नहीं होती। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाहन द्वारा प्रत्येक तय दूरी की लॉग बुकों में स्पष्ट रूप में विवरण दर्शाने के साथ–2 तय कुल दूरी की सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाई जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही लॉग बुकों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43 वाहनों के मुरम्मत रजिस्टर का रख–रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा समय–समय पर वाहनों की मुरम्मत करवाई जाती है परन्तु वाहनों की मुरम्मत पर किये गए व्यय हेतु मुरम्मत रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में वाहनों की मुरम्मत पर किये गये व्यय की पूर्ण जाँच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः भविष्य में वाहनों की मुरम्मत का पूर्ण लेखा जोखा हेतु मुरम्मत रजिस्टर का रख–रखाव किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

44 आय से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आय से सम्बन्धित अभिलखों का उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। दुकानों के किराये व रख–रखाव प्रभार सम्बन्धी पंजिका में कई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण एक ओर जहां इन पंजिकाओं में की गई प्रविष्टियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है वहीं दूसरी ओर आय की समयानुसार प्राप्ति में भी विलम्ब होता है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में अपेक्षित अभिलेख का उचित रख–रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

45 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में पाई गई अनियमितताएं

(क) स्ट्रीट लाईट स्टॉक रजिस्टर

(i) स्ट्रीट लाईट स्टॉक रजिस्टर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर में उपलब्ध पृष्ठों की संख्या से सम्बन्धित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तथा उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 1 से 31 तक रिक्त रखे गए थे जोकि नियमों के प्रतिकूल है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) स्टॉक रजिस्टर में बिजली के बल्ब, टयूब चौक व सर्विस वायर की खपत स्टॉक रजिस्टर में "Use in street lights" लिखकर दर्शायी गई थी जैसा कि वर्ष 2018–19 के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 67 पर सर्विस वायर 2 कोर 10 एमएम के 30 रोल जोकि (4300 x 30) =₹129000 के दर्शाये गये है कि खपत "Use in street lights repair" लिखकर दर्शायी गई थी जबकि नियमानुसार उक्त सामान जिस वार्ड में जिस स्ट्रीट लाईट के पोल हेतु जारी किया गया था उसका विवरण स्टॉक रजिस्टर में दिया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर में बिजली के सामान के क्रय बिलों की बिल संख्या व दिनांक भी अंकित नहीं की गई थी । उक्त विवरण के अभाव में क्रय किये गये सामान की खपत का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में किसी अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही करने के अतिरिक्त भविष्य में क्रय मदों की खपत का स्टॉक रजिस्टर में उपरोक्त के अनुसार विवरण दिया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुकों की प्राप्तियाँ इन्हें जारी किये जाने/प्रयोग किये जाने तथा इनके आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की पड़ताल सम्भव न हो सकी तथा ऐसी स्थिति में रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव न करने एवं नियमित रूप से इसे अद्यतन न किये जाने के कारण वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना भी बनी रहती है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण तक भी इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है और परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है। अतः इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का उचित रख–रखाव एवं अद्यतन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

46 नियमानुसार संस्थापना व्यय जाँच रजिस्टर (Establishment Check/Pay Register) का रख–रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 11 नियम 179 में वर्णित प्रावधानानुसार नगर परिषद के कर्मचारियों को किए गए वेतन व भत्तों के भुगतान का विवरण प्रारूप जी–14 में अनुरक्षित "संस्थापना व्यय जांच रजिस्टर (Establishment Check/Pay

Register) में रखा जाना आवश्यक है। अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन भत्तों बकाया राशि आदि के भुगतान का कोई समेकित ब्यौरा किसी संस्थाना व्यय रजिस्टर में नहीं रखा गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित रजिस्टर का अनुरक्षण एवं अद्यतन (Updation) प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

47 अभिलेख / सूचनाएँ अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225 दिनांक 16.07.19, 227, 230 दिनांक 20.7.19 द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न वर्णित प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख व अपेक्षित अन्य सूचनाएं अंकेक्षण को उपलब्ध नही करवाई गई जोकि गम्भीर अनियमितता एवं चिन्ता का विषय है क्योंकि इसके अभाव में आय–व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख एवं सूचनाएं आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जायेः–

(i) भवन नक्शा पारित शुल्क / प्रभार

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि	नाम
6.3.19	90	50593	Sh.Raj Pundir
19.3.19	93	30664	Sh.Darshan Ram
19.3.19	93	36450	Smt. Parveen Kaur
19.3.19	93	35391	Sh. Sohan Lal
23.3.19	94	79266	Name not mentioned
26.3.19	95	53261	Exn. HIMUDA

(ii) सम्पत्ति कर निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि	नाम
11.3.19	91	2265	Sh.Bimal Kumar
14.3.19	92	9100	Sh. Hement & Krishan Kumar
19.3.19	93	13140	Sh. Mukesh Kumar
19.3.19	93	4108	Sh.Gurprkash Singh
6.9.17	120	1100	Sh Man Singh

6.9.17	120	4257	Sh. Anil Pandit
6.9.17	120	2140	Sh. Bheem
6.9.17	120	3072	Sh. TC Bagga
11.9.17	121	4257	Sh. Soumye Parkah
11.9.17	121	2411	Sh. Kumar
11.9.17	121	3072	Sh. Mohammed Singh
13.9.17	123	1419	Smt. Sunita Sharma
14.9.17	124	4257	Sh. Amit Aggarwal
14.9.17	124	4012	Sh. Vinod
15.9.17	125	15620	Sh. Ashok Kumar
15.9.17	125	622	Smt. Boby
16.9.17	125	2838	Sh. Pardeep
21.9.17	129	2006	Sh. Rakesh Kaul
28.9.17	130	2838	Smt. Nidhi Jain
28.9.17	130	2006	Sh. Sunil Rai
29.9.17	131	2561	Sh. Rajesh Kumar

(iii) आय प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख (अनुबन्ध, निविदा, पत्र, पंजिका आदि)

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि	नाम
11.3.19	91	48000	Garbage Disposal Charges
19.3.19	93	1500	NOC Charges (Sh. Gurprakash Singh)
30.3.19	96	48000	Office Building rent from employment officer
15.9.17	125	1500	NOC
18.9.17	126	11000	Sh. Dharam Pal (Tehbazri)
18.9.17	126	2400	NOC
18.9.17	126	600	NOC
18.9.17	126	600	NOC
19.9.17	127	600	NOC
19.9.17	127	11000	Tehbazari (Sh. Prem Shankar)
19.9.17	127	300	NOC
19.9.17	127	300	NOC
19.9.17	127	300	NOC

21.9.17	128	600	NOC
21.9.17	128	2500	Title Charges of map
21.9.17	128	600	NOC
21.9.17	128	300	NOC
23.9.17	129	2500	Map approval
25.9.17	129	586152	Grant in aid (PMAY)
28.9.17	131	300	NOC
30.9.17	132	187	Interest given by PNB bank

(iv) नगर परिषद का Kenduwal में Solid waste management Plant है। इस Plant से अंकेक्षण अवधि के दौरान खाद उत्पादन एवं विक्रय से कितनी आय प्राप्त हुई थी जिस सन्दर्भ में कोई सूचना/अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

(v) नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 में सब्जी मण्डी के पास स्थित प्लेटफार्म को 250 गली विक्रेता (Street vendors) को आबंटित किया गया है। इन स्ट्रीट वेंडर्स को किस रेट के आधार पर प्लेटफार्म पर जगह आबंटित की गई है एवं उनसे अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी आय प्राप्त हुई, इससे सम्बन्धित अभिलेख व सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(vi) अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/15 से 03/17 तक में पैरा संख्या 31, 32, 33, 36 तथा 37 में उठाई गई आपत्तियों के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया।

(vii) अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा लावारिस मृत शरीरों के दाह संस्कार करवाए जाने सम्बन्धी जानकारी तथा इसके हेतु किया गया लकड़ी का क्रय, लकड़ी की खपत तथा शेष लकड़ी सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

48 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी मदों का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के शेष से करेगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठायेगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में स्टॉक के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का

नियमानुसार नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

49 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

50 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार एवं लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाने की नितान्त आवश्यकता है।

ळस्ता/—

(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)V 105/2012 खण्ड—2 8181—8182 दिनांक 21.12.2019, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित ळें

पंजीकृत 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।

ळस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट–''क''

सन्दर्भित पैरा संख्या 1(ग)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1999 से 3/2005

1	पैरा 1	अनिर्णीत	
2	पैरा 2	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3(ड़)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5(घ)(1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 5(घ)(2)	अनिर्णीत	
12	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5(च)(1 से 5)	अनिर्णीत	
14	पैरा 5(छ)(1)	अनिर्णीत	
15	पैरा 5(छ)(3)	आंशिक निर्णीत	(क्रम संख्या 1, 2, 3 व 4 से देय क्रमशः 1000, 1000, 1000 व 500 की राशि जी–8 संख्या 5082, 5085, 5080 व 5089 द्वारा दिनाक 16.8.2007, 16.8.2007, 14.8.2007 व 27. 8.2007 द्वारा वसूल कर ली गई। क्रम संख्या 5 व 6 के पक्ष में भी अपेक्षित कार्यवाही की जाए।
16	पैरा 5(छ)(4)	अनिर्णीत	
17	पैरा 5(छ)(5)	अनिर्णीत	
18	पैरा 5(ज)(1 से 5)	अनिर्णीत	
19	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
21	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(ठ)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(ढ)	अनिर्णीत	
24	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत	
25	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
26	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	

28	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
31	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत
32	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
33	पैरा 6(झ)	अनिर्णीत
34	पैरा 6(ञ)	अनिर्णीत
35	पैरा 6(ट)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(ठ)	अनिर्णीत
37	पैरा 6(ड)	अनिर्णीत
38	पैरा 6(ढ)	अनिर्णीत
39	पैरा 6(ण)	अनिर्णीत
40	पैरा 6(त)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(थ)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(द)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(ध)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(न)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(प)	अनिर्णीत
46	पैरा 6(फ)	अनिर्णीत
47	पैरा 6(ब)	अनिर्णीत
48	पैरा 6(भ)(1 से 4)	अनिर्णीत
49	पैरा 6(म)(1 से 3)	अनिर्णीत
50	पैरा 6(य)	अनिर्णीत
51	पैरा 6(र)	अनिर्णीत
52	पैरा 6(ल)	अनिर्णीत
53	पैरा 6(व)	अनिर्णीत
54	पैरा 6(श)	अनिर्णीत
55	पैरा 6(ष)	अनिर्णीत
56	पैरा 6(स)	अनिर्णीत
57	पैरा 6(ह)	अनिर्णीत
58	पैरा 7(1 से 19)	अनिर्णीत
59	पैरा 7(क)(1 से 7)	अनिर्णीत
60	पैरा 7(ख)(1 से 7)	अनिर्णीत
61	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
62	पैरा 7(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत
63	पैरा 7(ड़)	अनिर्णीत
64	पैरा 7(च)(1 से 7)	अनिर्णीत
65	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत

66	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत
67	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत
68	पैरा 7(ञ)	अनिर्णीत
69	पैरा 7(ट)	अनिर्णीत
70	पैरा 7(ठ)	अनिर्णीत
71	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत
72	पैरा 7(ढ)(1 से 5)	अनिर्णीत
73	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत
74	पैरा 7(त)(1 से 3)	अनिर्णीत
75	पैरा 7(थ)(1 से 5)	अनिर्णीत
76	पैरा 7(द)	अनिर्णीत
77	पैरा 7(ध)	अनिर्णीत
78	पैरा 7(न)	अनिर्णीत
79	पैरा 7(प)	अनिर्णीत
80	पैरा 7(फ)	अनिर्णीत
81	पैरा 7(ब)	अनिर्णीत
82	पैरा 7(म)(1 से 4)	अनिर्णीत
83	पैरा 7(य)(1 से 3)	अनिर्णीत
84	पैरा 7(र)(1 से 2)	अनिर्णीत
85	पैरा 7(ल)	अनिर्णीत
86	पैर 7(व)	अनिर्णीत
87	पैरा 7(श)	अनिर्णीत
88	पैरा 7(ष)	अनिर्णीत
89	पैरा 7(स)(1 से 4)	अनिर्णीत
90	पैरा 7(ह)	अनिर्णीत
91	पैरा 7(क्ष)	अनिर्णीत
92	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
93	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
94	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
95	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
96	पैरा 8(ड़)	अनिर्णीत
97	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
98	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
99	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
100	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
101	पैरा 9(ड़)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008 तक

1	पैरा 4(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(7)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(17)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(18)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(5)	आंशिक रूप से निर्णीत
9	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(7)(क)	अनिर्णीत
16	पैरा 6(7)(ख)	अनिर्णीत
17	पैरा 6(8)	अनिर्णीत
18	पैरा 6(9)	अनिर्णीत
19	पैरा 6(11)	अनिर्णीत
20	पैरा 6(12)	अनिर्णीत
21	पैरा 6(13)	अनिर्णीत
22	पैरा 6(14)	अनिर्णीत
23	पैरा 6(15)	अनिर्णीत
24	पैरा 6(16)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(21)	अनिर्णीत
26	पैरा 6(22)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(23)	अनिर्णीत
28	पैरा 6(25)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(26)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(27)	अनिर्णीत
31	पैरा 6(28)	अनिर्णीत
32	पैरा 6(29)(क)	अनिर्णीत
33	पैरा 6(29)(ख)	अनिर्णीत
34	पैरा 6(31)	अनिर्णीत
35	पैरा 7(1)	अनिर्णीत

36	पैरा 7(2)(क)	अनिर्णीत
37	पैरा 7(2)(ख)	अनिर्णीत
38	पैरास 7(3)	अनिर्णीत
39	पैरा 7(3)(क)	अनिर्णीत
40	पैरा 7(3)(ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
42	पैरा (5)(क)	अनिर्णीत
43	पैरा 7(5)(ख)	अनिर्णीत
44	पैरा 7(6)(घ)	अनिर्णीत
45	पैरा 7(6)(ड़)	अनिर्णीत
46	पैरा 7(7)(क)	अनिर्णीत
47	पैरा 7(7)(ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 7(7)(ग)	अनिर्णीत
49	पैरा 7(8)	अनिर्णीत
50	पैरा 7(9)	अनिर्णीत
51	पैरा 7(10)(क)	अनिर्णीत
52	पैरा 7(10)(ख)	अनिर्णीत
53	पैरा 7(10)(च)	अनिर्णीत
54	पैरा 7(10)(ज)	अनिर्णीत
55	पैरा 7(12)(क)	अनिर्णीत
56	पैरा 7(12)(ख)	अनिर्णीत
57	पैरा 7(12)(ग)	अनिर्णीत
58	पैरा 7(12)(घ)	अनिर्णीत
59	पैरा 7(13)(क)	अनिर्णीत
60	पैरा 7(13)(ख)	अनिर्णीत
61	पैरा 7(13)(ग)	अनिर्णीत
62	पैरा 7(14)	अनिर्णीत
63	पैरा 7(15)	अनिर्णीत
64	पैरा 7(16)	अनिर्णीत
65	पैरा 7(17)	अनिर्णीत
66	पैरा 7(20)	अनिर्णीत
67	पैरा 7(21)	अनिर्णीत
68	पैरा 7(22)	अनिर्णीत
69	पैरा 7(25)	अनिर्णीत
70	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
71	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
72	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
73	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2012 तक

1	पैरा 4(घ)(2)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5(ट)(i)	आंशिक निर्णीत	(₹31577 अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/15 के दौरान जमा कर दिए गए हैं। दण्ड ब्याज की वसूली शेष है)
7	पैरा 5(ट)(iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
9	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9	अनिर्णीत	
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	अनिर्णीत	
14	पैरा 15	अनिर्णीत	
15	पैरा 16	अनिर्णीत	
16	पैरा 22	अनिर्णीत	
17	पैरा 24	अनिर्णीत	
18	पैरा 26	अनिर्णीत	
19	पैरा 27	अनिर्णीत	
20	पैरा 28	अनिर्णीत	
21	पैरा 29	अनिर्णीत	
22	पैरा 30	अनिर्णीत	
23	पैरा 31	अनिर्णीत	
24	पैरा 32	अनिर्णीत	
25	पैरा 33	अनिर्णीत	
26	पैरा 34	अनिर्णीत	
27	पैरा 35	अनिर्णीत	
28	पैरा 37	अनिर्णीत	
29	पैरा 38(1 से 7)	अनिर्णीत	
30	पैरा 38(9, 10)	अनिर्णीत	
31	पैरा 38(14)(ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा 38(15)	अनिर्णीत	
33	पैरा 38(16)(ख)	अनिर्णीत	
34	पैरा 38(17)(क)	अनिर्णीत	
35	पैरा 38(17)(ख)	अनिर्णीत	

36	पैरा 38(17)(च)	अनिर्णीत	
37	पैरा 38(17)(छ)	अनिर्णीत	
38	पैरा 38(18)(क)	अनिर्णीत	
39	पैरा 38(19)	अनिर्णीत	
40	पैरा 38(20)	अनिर्णीत	
41	पैरा 38(21)	अनिर्णीत	
42	पैरा 38(22)	अनिर्णीत	
43	पैरा 38(23)	अनिर्णीत	
44	पैरा 39(क)	अनिर्णीत	
45	पैरा 39(ग)	अनिर्णीत	
46	पैरा 41(ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा 42(क)	अनिर्णीत	
48	पैरा 42(ख)	अनिर्णीत	
49	पैरा 42(ग)	अनिर्णीत	
50	पैरा 42(च)	अनिर्णीत	
51	पैरा 43	अनिर्णीत	
52	पैरा 44	अनिर्णीत	
53	पैरा 45	अनिर्णीत	
54	पैरा 46	अनिर्णीत	
55	पैरा 47	अनिर्णीत	
56	पैरा 48	अनिर्णीत	
57	पैरा 49	अनिर्णीत	
58	पैरा 50	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 तक

1	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
2	पैरा 5.3	अनिर्णीत	
3	पैरा 7.1	अनिर्णीत	
4	पैरा 7.3	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 8	अनिर्णीत	
6	पैरा 14	अनिर्णीत	
7	पैरा 15	अनिर्णीत	
8	पैरा 19.1	अनिर्णीत	
9	पैरा 19.2	अनिर्णीत	
10	पैरा 19.3	अनिर्णीत	
11	पैरा 21.1	अनिर्णीत	
12	पैरा 21.2	आंशिक निर्णीत	(तालिका के क्रमांक 3 व 4 पर दर्ज ₹7756 (2716+5040) की वसूली कर ली गई है। क्रमांक 1 व 2 पर दर्ज ₹5690 की वसूली शेष है)

13	पैरा 23	अनिर्णीत	
14	पैरा 23.1	अनिर्णीत	
15	पैरा 23.2	अनिर्णीत	
16	पैरा 23.3	अनिर्णीत	
17	पैरा 23.4	अनिर्णीत	
18	पैरा 23.5	अनिर्णीत	
19	पैरा 24	अनिर्णीत	
20	पैरा 25	अनिर्णीत	
21	पैरा 26	अनिर्णीत	
22	पैरा 27	अनिर्णीत	
23	पैरा 29	अनिर्णीत	
24	पैरा 29.1	अनिर्णीत	
25	पैरा 29.2	अनिर्णीत	
26	पैरा 30.1	अनिर्णीत	
27	पैरा 31	अनिर्णीत	
28	पैरा 34.1	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
29	पैरा 34.2	अनिर्णीत	
30	पैरा 34.3	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017 तक

1	पैरा 1 (क)	निर्णीत	
2	पैरा 1 (ख)	निर्णीत	
3	पैरा 1 (ग)	निर्णीत	
4	पैरा 2	निर्णीत	
5	पैरा 3	निर्णीत	
6	पैरा 4 (क)	समाप्त	(पुनः प्रारूपित)
7	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	
8	पैरा 4 (ग)	निर्णीत	
9	पैरा 4 (घ)	निर्णीत	
10	पैरा 4 (ङ) 1	अनिर्णीत	
11	पैरा 4 (ङ) 2	अनिर्णीत	
12	पैरा 4 (ङ) 3	निर्णीत	
13	पैरा 5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
14	पैरा 6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
15	पैरा 7	समाप्त	
16	पैरा 8	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
17	पैरा 9 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
18	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत	

20	पैरा 10	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
21	पैरा 11	अनिर्णीत	
22	पैरा 12	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
23	पैरा 13	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
24	पैरा 14	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त)
25	पैरा 15	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
26	पैरा 16 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
27	पैरा 16 (ख)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
28	पैरा 16 (ग)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
29	पैरा 17	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
30	पैरा 18	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त)
31	पैरा 19	अनिर्णीत	
32	पैरा 20	अनिर्णीत	
33	पैरा 21	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त)
34	पैरा 22	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
35	पैरा 23	अनिर्णीत	
36	पैरा 24	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
37	पैरा 25 (क, ख,ग)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
38	पैरा 26	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त)
39	पैरा 27	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन उपरान्त)
40	पैरा 28	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन उपरान्त)
41	पैरा 29	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त)
42	पैरा 30	अनिर्णीत	
43	पैरा 31	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
44	पैरा 32	अनिर्णीत	
45	पैरा 33	अनिर्णीत	
46	पैरा 34	अनिर्णीत	
47	पैरा 35	अनिर्णीत	
48	पैरा 36	अनिर्णीत	
49	पैरा 37	अनिर्णीत	
50	पैरा 38	अनिर्णीत	
51	पैरा 39	अनिर्णीत	
52	पैरा 40	अनिर्णीत	
53	पैरा 41	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त ₹2880 की जमा की पुष्टि के उपरान्त)
54	पैरा 42	अनिर्णीत	
55	पैरा 43	अनिर्णीत	
56	पैरा 44	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)

57	पैरा 45	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
58	पैरा 46	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
59	पैरा 47	अनिर्णीत	
60	पैरा 48	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त)
61	पैरा 49	अनिर्णीत	
62	पैरा 50	अनिर्णीत	
63	पैरा 51	अनिर्णीत	
64	पैरा 52	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त ₹2447 की जमा की पुष्टि के उपरान्त)
65	पैरा 53	अनिर्णीत	
66	पैरा 54	अनिर्णीत	
67	पैरा 55	अनिर्णीत	
68	पैरा 56	अनिर्णीत	
69	पैरा 57	अनिर्णीत	
70	पैरा 58	अनिर्णीत	
71	पैरा 59	अनिर्णीत	
72	पैरा 60	अनिर्णीत	
73	पैरा 61	अनिर्णीत	
74	पैरा 62	अनिर्णीत	
75	पैरा 63	अनिर्णीत	
76	पैरा 64	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त ₹4228 की जमा की पुष्टि के उपरान्त)
77	पैरा 65	अनिर्णीत	
78	पैरा 66	अनिर्णीत	
79	पैरा 67	अनिर्णीत	
80	पैरा 68	अनिर्णीत	
81	पैरा 69	अनिर्णीत	
82	पैरा 70	अनिर्णीत	
83	पैरा 71	अनिर्णीत	
84	पैरा 72	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 1.4.17 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	346
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	46
(–)वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	47
दिनांक 31.3.2019 को अनिर्णीत पैरों का अन्तिम शेष	345